The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 6031 No. 603] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 2006/पौच 2, 1928

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 2006/PAUSA 2, 1928

विदेश मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 768(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित, धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का नाम पासपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2006 होगा ।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची III में :-
 - (क) भारत के लिए भाग-। फार्म ई ए (पी)-। संशोधित हो गया और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के मामले अ निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

मुल्य 10/-

आवेदक अपना हाल ही में खींना

गया 3.5 x 3.5 से.मी. आकार का अहस्ताक्षरित रंगीन फोट।

भारत सरकार

विदेश पंत्रालय

पासपोर्ट आवेदन फार्म (संख्या 1)

(नए/पन: जारी/गुम/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को बदलने के लिए)

(क्रपया अपेक्षित श्रेणी पर सही निशान लगाएं)

हस्ताक्षर

अथवा अंगुठे का निशान

397991106-1

कृपया फार्म भरने से पूर्व पासपोर्ट सूचना पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें और साफ अक्षरों में केवल नीले/काले बाल पाइंट पेन से फार्म भरें :

(चेतावनी : कृपया सही सूचना भरें/गलत सूचना देने पर पासपोर्ट अधिनियम-1967 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अनुसार दण्ड का प्रावधान है)/फार्म जमा कराते समय कृपया अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें,

	केव	ल कार्यालय प्र	योग के लिए		
फाइल संख्या		नस जांच अपेक्षि	त (हां/नहीं)	ईसीआर/ईसीएनआर	
					री के हस्ताक्षर
शुल्क राशि, रूपए में	नकद/डी.डी	बैंक कोड	डी.डी संख्या	डी.डी. जारी कर	ने की तारीख
1.आवेदक का नाम,	, जैसा पासपोर्ट में र्	लेखा जाए (३	भाद्यक्षर की अ	नुमति नहीं है)	
3					
उपनाम दिया गया नाम					
(दस्तावेजी प्रमाण					
सहित)					The state of the s
	* > 1		(0)	पश्चात अथवा अन्य	कारणा गो\
	ाम म काइ पारवत हित,पिछला पूरा नाम			परचात अथवा अन्य	कारण रा)
पस्तावजा प्रमाण सा	हित, १५७ला पूरा ना	। ता कृत्या	उपनाम बताए		
				-	
3. लिंग :	पुरुष 🔲	स्त्री	अन्य 🗀		
	3				
4.जन्म तिथि:	दिन 💷	महीना 🗀		वर्ष 🔲	
(दस्तावेजी प्रमाण					
शब्दों में	gran 1				

5. जन्म स्थान : गांव / शहर, जिला, राज्य, देश (दस्तावेजी प्रमाण सहित)								
6. पिता/विधिमान्य अभिभावक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमित नहीं								
き)								
7.माता का पूरा नाम (उपनाम सहित,यदि कोई है)(आद्यक्षर की अनुमित नहीं है)								
8.यदि विवाहित हैं, तो पत्नी/पति का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमित नहीं है)								
8.(i) यदि तलाकशुदा/विधवा/विधुर हैं तो कृपया दस्तावेजी प्रमाण सहित श्रेणी बताएं								
9. वर्तमान आवास का पता(जहां इस समय रह रहे हैं) कब से रह रहे हैं :								
(छात्रों के मामले में, कृपया पासपोर्ट सूचना पुस्तिका का खण्ड III देखें)								
ं पिन								
दूरभाष नं0 मोबाइल नं0								
9. (क) यदि आप वर्तमान पते के आवास पर एक वर्ष से कम समय से रहे रहे हैं, तो कृपया पिछले								
एक वर्ष के दौरान अपने आवास के अन्य पते लिखें								
सं								
से तक से तक								

1

10. पिन कोड सहित स्थायी पता (यदि स्थायी पता वर्तमान पता भी है तो केवल "वही" लिखें)

_																					
				1																	
1												1	1	1							
-	-	-	-	-	-	-			_	-			 _	 			 				
1	1		1							}	1										
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -	 		-	 	-	-	-	-
	1	1		1							f			m	=						
ì	1													14	1						

11. नवीनतम/मौजूदा साधारण/राजनियक/सरकारी पासपोर्टों का ब्यौरा
(i) पासपोर्ट कार्यालय फाइल नम्बर पासपोर्ट/पासपोर्टों की संख्या
(ii) जारी किए जाने की तारीख और स्थानसमाप्ति की
तारीख
(iii) यदि पासपोर्ट के लिए आवेदन किया हो परन्तु जारी नहीं किया गया हो, तो फाइल संख्या
और तारीख दें
(iv) क्या आपका पासपोर्ट पहले कभी गुम/क्षतिग्रस्त हुआ है (यदि हां तो एफ.आई.आर. संलग्न करें
और ब्यौरा दें)
11.(क) यदि आप आपःत प्रमाण पत्र पर भारत लौटे थे अथवा आपको कभी लौटाया अथवा
प्रत्यावर्तित किया गया हो तो अपया ब्यौरा दें :-
आपात प्रमाण-पत्र संख्या, जारी करने की तारीख और स्थान तथा जब्ती ज्ञापन मूल रूप में संलग्न
करें
जिस देश से लौटाया/प्रत्यावर्तित किया गया हो उस स्थान और देश का नाम और उसके कारण
12. अन्य ब्योरे :-
(क) शैक्षिक योग्यता

		7.(क) क्या यह आवेदन करने की तारीख के ठीक पांच वर्ष पहले की अवधि में किसी आपराधिक जुर्म के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा आपको किसी समय दोषी ठहराया गया है और दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा दी गई है?	(Invid का प्रांत संलग्न कर) क्या भारत के किसी न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है ? बदि हां, तो न्यायालय का नाम, मामला संख्या और कानून का संगत खण्ड दें :
ומו	ומו	7.(क) क्या यह आवेदन करने की तारीख के ठीक पांच वर्ष पहले की अवधि में जुमें के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा आपको किसी समय दोषी उ दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा दी गई है? यदि हां तो न्यायालय का नाम, मामला संख्या और कानून का संगत खब्ध	(निणय का आत संतर्भन कर)(ख) क्या भारत के किसी न्यायालय में आपत बाद हां, तो न्यायालय का नाम, मामल

जारी करने/आवेदन देने की तिथि और स्थान

पासपोर्ट/फाइल संख्या

तो कृपया पासपोर्ट की मंजूरी के लिए सक्षम न्यायालय से

'अनापति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करे

यदि (ख)का उत्तर 'हो' है,

E

(ঘ)	क्या आपको पासपोर्ट देने से कभी इन्कार/मना किया गया है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें :

(ঙ্)	क्या आपका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है/वापिस ले लिया गया है ? यदि हां तो
	ब्यौरा दें :
(च)	क्या आपने कभी किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है/आपको
	राजनीतिक शरण दी गई है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें :
18.	मृत्यु अथवा दुर्घटना होने की स्थिति में सूचित किए जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा :
	नाम
	पता
	मोबाइल/दूरभाष नम्बर/ई मेल आई डी
19.	स्वतः घोषणा :
तो खोई और संद जिम्मेदा करने व	मुझे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा है और मैंने स्वेच्छा से किसी हा की नागरिकता अथवा यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं किया है। मैंने भारत की नागरिकता न हैं, न इसे अभ्यर्पित किया अथवा न ही मुझे कभी इससे वंचित किया गया है। इस फार्म लग्नक में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है, और उसकी सत्यता के लिए मैं पूरी तरह से र हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है कि पासपोर्ट अथवा कोई अन्य यात्रा दस्तावेज प्राप्त के लिए आवेदन में झूठी जानकारी देना अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना पासपोर्ट म 1967 के अन्तर्गत अपराध है।
-0: A	में यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अन्य पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज
नहीं है	
	आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
	(पुरुष के बाएं और स्त्री के दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)
	संलग्नक
	1. जन्मतिथि का प्रमाण 2. आवास का प्रमाण 3. शैक्षिक योग्यताएं 4. 5. 6.

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

जांचकर्ता का नाम मंजूरकर्ता का नाम स्कैनकर्ता का नाम प्रेषक का नाम हस्ताक्षर/तारीख हस्ताक्षर/तारीख हस्ताक्षर/तारीख हस्ताक्षर/तारीख

वैयक्तिक विवरण फार्भ

(दो प्रतियों में)

2. लिंग: पुरुष/स्त्री/अन्य. 3. (क) क्या आवेदक ने कभी अपना नाम परिवर्तित किया है ? (ख) यदि हां, तो पिछला नाम : 4. जन्म-तिथि 5. जन्म स्थान 6. व्यवसाय : 7. (क) पिता.
 (ख) यदि हां, तो पिछला नाम : जन्म-तिथि
(ख) यदि हां, तो पिछला नाम : 4. जन्म-तिथि 5. जन्म स्थान 6. व्यवसाय :
4. जन्म-तिथि 5. जन्म स्थान 6. व्यवसाय :
6. व्यवसाय :
7. (क) पिता
(उपनाम) (नाम)
(ख) माता (उपनाम) (नाम) (ग) पति/पत्नी
(उपनाम) (नाम) 8. (क) स्थायी पता और टेलीफोन नम्बर, पुलिस स्टेशन सहित
8. (ख) वर्तमान आवास का पता और टेलीफोन नम्बर, पुलिस स्टेशन और कब से रह रहे हैं ?

आवेदक अपना हाल ही में खींचा गवा 3.5 X 3.5 से.मी.के आकार का रंगीन फोटो हस्ताक्षर करके विप्रकाएं

9. यदि आप कालम 8(ख) में दिए गए पते पर लगातार पिछले एक वर्ष से नहीं रह रहे हैं तो कृपया उन स्थानों के
पते और अवधि बेताएं जहां इस दौरान रहे हैं (कृपया वैयक्तिक विवरण के फार्म का एक अतिरिक्त सैट दें जिसमें
प्रत्येक स्थान का पुलिस स्टेशन सहित पता हो)
से
10. सन्दर्भ : आवेदक के क्षेत्र से दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते जो आवेदक को प्रमाणित कर सकें :
(1) नाम, पता और दूरभाष (2) नाम, पता और दूरभाष
······································
11. भारत की नागरिकता : जन्म से वंशानुगत
पंजीकरण द्वारा नागरिकीकरण द्वारा
पंजीकरण द्वारा नागरिकीकरण द्वारा
12. पिछला पासपोर्ट/ यात्रा दस्तावेज, यदि कोई हो, का ब्यौरा दें,
(i)पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज संख्या(ii) जारी किए जाने की तारीख और स्थान
केवल पुलिस के प्रयोग के लिए
पासपोर्ट संस्तुत : हां / नहीं
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पुरुष के बाएं और स्त्री के दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)
तारीख
स्थान
A Comment of the Comm

पासपोर्ट सूचना पुस्तिका (आवेदक इस पुस्तिका को भविष्य में सुलभ सन्दर्भ के लिए रखें)

चेतावनी

पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत जारी किया जाता है । जानबूझकर झूठी जानकारी देना अथवा जानकारी छिपाना अपराध है जिसके लिए उक्त अधिनियम की संगत धाराओं के अंतर्गत दण्ड और अन्य कार्रवाई का प्रावधान है । पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । सभी पासपोर्ट धारकों को इस बात का यथोचित ध्यान रखना आवश्यक है कि पासपोर्ट न तो क्षतिग्रस्त हो और न ही कटे -फटे और न ही खोए । पासपोर्ट को किसी देश में डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।

पासपोर्ट खो जाने की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन और निकटतम पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी जानी चाहिए । पासपोर्ट धारक, . सम्बन्धित पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को पासपोर्ट के खो जाने की जानकारी न देने के कारण पासपोर्ट का दुरुपयोग होने के लिए जिम्मेदार होगा । पासपोर्ट एक सरकारी संपत्ति है और पासपोर्ट जारी करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा लिखित में माँगे जाने पर इसे सौंप दिया जाना चाहिए ।

I. नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करना खण्ड I -सामान्य जानकारी

1. आवेदन कैसे करें

किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन, व्यक्तिगत तौर पर अथवा प्राधिकार पत्रधारी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है (नमूना नीचे दिया गया है) । सभी मूल दस्तावेज दिखाए जाने चाहिए और स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए ।

टिप्पणी: प्रतिनिधि के लिए कुछ पहचान दस्तावेज होने आवश्यक हैं जिस पर उसका फोटो लगा हो । प्राधिकार पत्र के साथ पहचान दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाए । 2. शुल्क और उसके भुगतान का तरीका : आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सम्पूर्ण शुल्क सम्बन्धित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा नकद भुगतान करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट के मामले में ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का पूरा नाम और आवेदन पत्र संख्या लिखें। संगत खाने में शुल्क के भुगतान के ब्यौरे का उल्लेख किया जाए । यदि शुल्क का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो इसे जारी करने वाले बैंक का बैंक कोड, डिमान्ड ड्राफ्ट सं. और डिमान्ड ड्राफ्ट जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।

00/- ফ্.
00/- रू
/- ए त्
00/- रू.
00/- रू

पासपोर्ट के पुनः जारी किए जाने की स्थिति में उद्ग्रहणीय शुल्क वही होगा जो आवेदक की आयु

पासपोटों की सुपुर्दगी :

पासपोर्ट, आवेदक को ही सुपुर्द किया जायेगा अथवा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जायेगा ।

खण्ड II - आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश एवं दिशा-निर्देश

पासपोर्ट आवेदन पत्र मशीन द्वारा पढा जाएगा । इसे कम्प्यूटर पर स्कैन किया जायेगा । अतः निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

साफ अक्षरों का ही प्रयोग करें ।
 आवेदन पत्र में दिए गए वितरण को फं भीतर स्पष्ट रूप से लिखें ।
 पासपोर्ट में मुद्रित किया जायेगा । अतः कृपया आवेदन पत्र को भरने में सावधानी बरतें और फिसी प्रकार की गलती से बचें
 केवल काले/नीले बाल पैन का प्रयोग
 सूचना को दिए गए बॉक्सों की संख्या

1				
10	कार	किया	v	4 24
1िजन	電	40		4
में फिट करने के लिए समायोजित करें	कुछ नहीं लिखें । काट	स्वीकार नहीं		and and
40 10	So	क्न		
ह कर	雪雪田	आवेदन	енопон Волии	8
# 10°	बाक्स के बाहर व औट से बचें	अधूरा	5	
	•	•		4
	पंसिल अथवा स्याही रू	बॉक्सों को भरते समय प्रत्येक शब्द के	पूरा हो जाने के पश्चात् कृपया एक बावस को खाली छोड़ दें ।	
	आवेदन पत्र को पं वाले पैन से न भर्र	को भूत	पूरा हो जाने के पश्चा बावस को खाली छोड़ दें	6
	IT I	A Steam	me,	
- व्य	आवेदन बाले पैन	बॉक्सों	भूरा ह	(

: पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करते समय सभी मूल दस्तावेज दिखाने होंगे । मूल पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियों को संलग्न किया जाना आवश्यक है । अशिक्षित आवेदक, अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर के लिए दिए गए बाक्स में ही अंगूठे का निशान लगाएं । आवेदक के गत एक वर्ष के दौरान एक से अधिक पते पर रहने के मामलें में रहने के प्रत्येक स्थान के लिए पासपोर्ट फार्म की दो अतिरिक्त छाया प्रतियां संलग्न महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की जानी चाहिए।

खण्ड III - आवेदन फार्म को भरने के लिए कालम-वार दिशा-निर्देश

आवेदन पत्र के आरम्भ में फोटो लगाने, हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने तथा शुत्क के मुगतान का ब्यौरा देने के लिए बाक्स दिए गए हैं

विपकाएं । फोटो, बाक्स में पूरी तरह से फिट होना चाहिए और किसी भी स्थिति में फार्म में दिए फोटो : पूरे चेहरे को दर्शाने वाला हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (तीन) आवश्यक पर चिपकाने होंगे । श्याम एवं श्वेत फोटो, रंगीन अथवा काले चश्मे वाले फोटो अथवा यूनिकार्म में, पोलराइड प्रिंट अथवा कम्प्यूटर प्रिंटों को स्वीकार नहीं किया जायेगा । फोटो लगाने के लिए बाक्स में कृपया 3.5 से.मी. 🗴 3.5 से.मी. आकार की आपकी हाल की और एक समान, रंगीन फोटो है । एक फोटो, फार्म पर चिपकाना होगा और दो फोटो पासपोर्ट फार्म, जिसे दो प्रतियां में भरना है, गए बॉक्स से छोटा न हो । बड़ी पुस्तिका के लिए दो अतिरिक्त फोटो आवश्यक हैं । हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बॉक्स की सीमाओं को छुए बिना पूरी तरह से बाक्स के भीतर होने चाहिए । अंगूठे का निशान पुरुषों के मामलों में बाएं हाथ का और स्त्रियों के मामले में दाहिने हाथ का होना चाहिए ।

कालम १- नाम (दस्तावेजी प्रमाण के साथ)

आवेदन पत्र में 75 अक्षर का नाम दिया और भरा जा सकता है । पूरा नाम, जैसा पासपोर्ट में लिखा जाए, यहाँ लिखे। उदाहरण के लिए

सुब्रमनियनरामानाथन नाम : कारूर वैकुंटा सुब्रमनियन रामानाथन पिल्लाई, उपनाम के लिए दिए गए बाक्सों में "पिल्लाई और कोमा का चिन्ह लगाएं तथा बाकी कालमों में "वैकुंटा उपनाम लिखें लिखें । यदि आपका कोई उपनाम नहीं हो तो केवल दिया गया नाम लिखें । आदाक्षर न लिखे बल्कि पूरा नाम लिखे। कालम - 2 - यदि आपने अपना नाम परिवर्तित कर लिया हो तो कृपया अपना पूर्व नाम पूरा लिखें । यह उस व्यक्ति के लिए लागू होगा जिसने मामूली रूप से नाम परिवर्तित कर लिया हो अथवा उस महिला के लिए लागू होगा जिसने अपना नाम/उपनाम विवाह के उपरान्त परिवर्तित कर लिया हो । : लागु नहीं यदि नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो तो कृपया लिखें

कालम -3- पुरुष/स्त्री के विकल्प के मामले में कृपया दिए गए बाक्स में यथा लागू पुरुष अथवा स्त्री लिखें । अन्य के लिए कृपया इस बॉक्स में 'एक्स' लिखें । कालम - 4- जन्म तिथि : जन्म की तारीख नगरपालिका/सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणप्रज में दर्शाये गये अनुसार दिन/माह/वर्ष और शब्दों में भरें । जन्म की तारीख का प्रमाण संलग्न किया जाना है। कृपया संलग्न किए जाने वाले सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए खण्ड IV देखें।

पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में आता है, तो स्थान का नाम भरने के बाद देश का नाम-" अविभाजित जिला, राज्य जैसे स्थान के नाम का उल्लेख करें और यदि भारत से बाहर जन्म हुआ हो तो स्थान तथा देश के नाम का उल्लेख करें । यदि भारत विभाजन के पूर्व ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जो अब यदि भारत में जन्म हुआ हो तो कृपया गाँव/करबा, 0 0 कालम 5 - जन्म का स्थान और देश मारत निखें

दिए गए नामों के बाद का उल्लेख करें । यदि आवेदक : संबंधित कॉलमों में पिता, माता तथा पति/पत्नी के नाम की प्रविष्टि करनी अविवाहित है तो कॉलम 8 में पति/पत्नी के नाम के बारे में मांगी गई सूचना के लिए उपनाम, यदि कोई हो, कालम 6,7 और 8 है। इन कालमों में - BE

कोड नं. के साथ-साथ संगत ब्योरों का उल्लेख करें जो पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सूचना प्रयोजनार्थ आवेदक को एस.एम.एस संदेश भजने के लिए उसका मोबाइल फोन नंबर उपयोगी होगा। कॉलम 9 तथा 10 : कृपया दिए गए पते पर निवास करने की तिथि, टेलीफोन नंबर तथा क्षेत्र के अन्य पतों को प्रस्तुत करें और उन पर रहने की अवधि भी बताएं । अपने माता-पिता यदि कॉलम 9 में दिए गए आवास पर रहने की अवधि, आवेदन करने की तिथि से एक वर्ष से कम से दूर रहने वाले छात्रों के पास अध्ययन करने के स्थान से आवेदन करने का विकल्प होगा । ऐसे मामलों में शैक्षाणिक संस्था के प्रिसिपल/निदेशक/रजिस्ट्राए/डीन से पते के प्रमाण का वास्तिविक आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किए जाने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित प्रमाण पत्र होना चाहिए । अथवा दस्तावेज की है तो कृपया

कॉलम 11 कृपया पूर्व घारित पासपोर्ट (पासपोर्टी) का ब्यौरा प्रस्तुत करें । पिछला पासपोर्ट संख्या अथवा फाइल संख्या के साथ-साथ संगत बाक्सों में जारी करने की तिथि और जारी करने के स्थान का यहां उल्लेख करें । यदि पासपोर्ट के लिए पहले आवेदन किया गया हो किंतु पासपोर्ट प्राप्त नहीं तारीख तथा स्थान जैसे ब्योरों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा हुआ हो / जारी न हुआ हो तो पासपोर्ट के लिए जहाँ आवेदन किया गया था उसकी फाइल संख्या, 12 के अनुसार तथ्यों के छिपाने पर दांडिक प्रावधान लगाए जा सकते हैं ।

तथा उस स्थान और देश के नाम का उल्लेख करें जहां से लीटाया गया था अथवा प्रत्यावर्तित किया गया था । यदि आपात प्रमाण पत्र के ब्यौरे तत्काल रूप से उपलब्ध न हो तो कम से कम उस स्थान तथा देश का नाम जहाँ से लीटाया गया अथवा प्रत्यार्वतन किया गया, का ब्यौरा : यदि कभी सरकारी खर्च पर आपात प्रमाण पत्र के आधार पर भारत की यात्रा की गई हो अथवा कभी भारत लौटाया गया हो अथवा प्रत्यावर्तित किया गया हो तो इस कॉलम में मूल जब्ती ज्ञापन के साथ-साथ आपात प्रमाण पत्र की संख्या, तारीख और जारी किए जाने का अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें । ऐसे सभी आवेदक नोटरी पब्लिक से साक्ष्यांकित शपथ पत्र में अपने प्रत्यार्वतन/पासपोर्ट की गुमशुदगी की परिस्थितियों के ब्योरे प्रस्तुत करें। कालम 11 (क)

कालम 12 : संबंधित मदों के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान में शैक्षणिक योग्यताएं, स्पष्ट पहचान चिह्न एवं ऊंचाई (से.मी.मै) जैसे ब्योरों को प्रस्तुत करें।

कार्यरत है तो अनुबंध 'ख' के अनुसार संबंधित कार्यालय से एक पहचान प्रमाण - पत्र संलग्न किया कालम 13 : दिए गए बाक्स की जगह में 'हाँ' अथवा 'नहीं' के रूप में संगत प्रविष्टि चिह्नित की साविधिक निकायों में जानी चाहिए । यदि वह केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जाना चाहिए

। यदि भारतीय नागरिकता के पूर्व कोई अन्य नागरिकता रही हो तो कृपया दी गई कालम 14 : नागरिकता के संबंध में यदि यह जन्म, वंश, पंजीकरण अथवा नागरिकीकरण से प्राप्त है ती दिए गए बाक्स की जगह में यथा स्थिति जन्म/वंश/ पंजीकरण /नागरिकीकरण रिकार्ड किया खाली जगह में पिछली नागरिकता लिखें । चाहिर

प्राप्त करना आवश्यक है । ई.सी.आर श्रेणी के आवेदकों को अपने पासपोर्ट पर ई.सी.आर की मोहर जाएगी । यदि कोई आवेदकः निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आता/आती है और लगाइ यदि वह इसके लिए दस्ताबैजी प्रमाण प्रस्तुत करता/करती है तो वह ई सी. एन. आर. स्तर का पात्र कालम 15 : कृपया यथा लागू 'हाँ' अथवा 'नहीं' लिखें । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देश छोड़ने से पूर्व ई सी. आर के रूप में श्रेणीबद्ध भारतीय नागरिकों को प्राक्टर जनरल आफ एमिग्रेंट्स से अनुमति म आवेतक को ई.सी.एन.आर. स्थिति का समझा जाएगा । पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. की कोई मोहर नहीं 加 में ई.सी.आर मोहर नहीं लगी लगवानी होगी । यदि पासपोर्ट पुस्तिका

वे व्यक्ति जिनके पासपोर्ट पर ई.सी.आर. मुहर नहीं लगेगी

(क) राजनयिक/सरकारी पासपोटौं के सभी घारक।

- (ख) सभी राजपत्रित सरकारी सेवक ।
- (ग) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सभी आयकर दाता (जिनमें कृषि जनित आयकर आदाता भी शामिल हैं)। पिछले एक वर्ष के आयकर निर्धारण का प्रमाण तथा वास्तविक आयकर भुगतान का प्रमाण अथवा पैन कार्ड की प्रति पर बल दिया जाना है न कि नाममात्र के अग्रिम कर का भुगतान । तथापि अधिकांश मामलों में, जैसा कि आयकर विभाग द्वारा अलग से कर-निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाता है, आयकर विवरणियां जो आय कर प्राधिकारियों द्वारा मोहर लगी हों, स्वीकार की जा सकती हैं।
- (घ) सभी व्यावसायिक िहग्री धारक जैसे डाक्टर जिनके पास एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा आयुर्वेद में समकक्ष उपाधि अथवा होम्योपेथी में समकक्ष उपाधि, प्रत्यायित पत्रकार, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एकाउंटेट्स, लेक्चरार, अध्यापक, वैज्ञानिक, एडवोकेट आदि।
- (ड.) (ख) से (घ) में सूचीबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ।
- (च) मैट्रिक अथवा उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति।
- (छ) ऐसे नाविक जो सी.डी.सी अथवा नाविक कैंडेट्स, डेक कैंडेट्स प्रमाण पत्र धारी हैं ।
- (i) जिन्होंने टी. एस. चाणक्य, मुम्बई में समुद्री विज्ञान पाठ्यक्रम की तीन वर्षीय बी.एस.सी. की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण है । और
- (ii) जिन्होंने शिपिंग मास्टर मुम्बई/कोलकाता/चेन्नई द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा अनुमोदित किसी एक प्रशिक्षण संस्थान जैसे टी.एस.चाणक्य, टी.एस. रहमान, टी.एस. जवाहर, एम.टी.आई (एस.सी.आई) तथा एन आई पी एम, चेन्नई से तीन महीने का पूर्व समुद्री प्रशिक्षण लिया हो ।
- (ज) यूनाइटेड किंगडम, यू.एस.ए. तथा आस्ट्रेलिया जैसे स्थायी प्रवासी वीजा धारक व्यक्ति ।
- (झ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा घारक व्यक्ति अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे पोलीटेक्नीक्स से तीन वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष उपाधि धारी व्यक्ति ।

- भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त योग्यता धारी F
- (ट) 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति।
- की अवधि चाहे लगातार रही हो अथवा खंडित रही हो) तथा उनके पति/पत्नी । तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे सभी व्यक्ति (तीन वर्ष
- होने पर(पासपोट) पुनः जारी करते समय यदि लागू हुआ तो ई सी आर मुहर लगाई जाएगी)। 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे (18 वर्ष की आयु
- उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ़ीका तथा सिंगापुर की यात्रा करने के लिए कोई उत्प्रवासन अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बंगलादेश, पाकिस्तान तथा यूरोप में सभी देशों (सी.आई.एस.राज्यों को छोड़कर)

इस कालम के अन्तर्गत दी गई खाली जगह में पात्रता श्रेणी का उल्लेख किया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि ई.सी.आर. पासपोर्ट घारकों को उपर्युक्त से भिन्न देशों में किसी गैर-रोजगार प्रयोजनों के लिए यात्रा आर पृष्ठांकन को हर बार निलंबित कराना होगा । रोजगार प्रयोजनों के लिए ऐसे पासपोर्ट धारकों करें , अन्यथा उन्हें निर्गम पत्तन पर ही यात्रा करने से रोक दिया जाएगा । अतः आवेदकों को सलाह ई.सी.आर श्रेणी की मुहर लगी होनी चाहिए और यदि पासपोर्ट पुस्तिका पर ई.सी.आर. की मुहर नहीं के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्राक्टर आफ एमिग्रैंट्स के कार्यालयों से उत्प्रवासन की अनुमति प्राप्त दी जाती है कि यदि वे पात्र हैं तो ई.सी.एन.आर. के लिए आवेदन करें ताकि उनकी बाधामुक्त विदेश यात्रा सुनिश्चित की जा सके । यह भी ध्यान दिया जाए कि पासपोर्ट पुस्तिका केवल शुरू करने से पूर्व प्राक्टर आफ एमिग्रैन्ट्स कार्यालय से अथवा निर्दिष्ट पासपोर्ट कार्यालयों से होगी तो उन्हें ई.सी.एन आर स्तर का आवेदक समझा जाएगा

कालम 16 : इस कालम में, नाबालिग बच्चे, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, के लिए पहली बार आवेदन करते समय **बाता-पिता दोनों अथवा बाता-पिता** में से किसी एक द्वारा घारित वैध पासपोर्ट को सादे कागज पर भरा जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में उनके नाबालिंग बच्चे का पासपोर्ट का विवरण संबंधित कालम में भरा जाना चाहिए । प्रत्येक मामले में, अनुबंध 'ज' में दी गई घोषणा पुलिस सत्यापन के बिना ही जारी कर दिया जाएगा । इसके अलावा यदि माता-पिता के पास दैघ पुलिस सत्यापन **होने के बाद** जारी किया जाएगा। अनुबंघ 'ज' के अनुसार सादे कागज पर एक धोषणा प्रत्येक मामले में भरनी होगी । यदि 15 से 18 वर्ष की आयु के वे नाबालिग बच्चे जो 10 लिए सामान्य पासपोर्ट शुल्क अर्थात् 1000/- रू के शुल्क का भुगतान करने पर उन्हें वैसा पासपोर्ट पिता के तीन ऐसे दस्तावैजों के आधार पर किए जा सकते हैं जिनके ब्योरे पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड- IV के पैरा ग(ख) में दिए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में उनके नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपीट प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता-पिता द्वारा अनुबंध 'झ' में दिए गए दस्तावेजों में से कोई तीन जमा करने तथा किसी प्रौढ़ के लिए यथा लागू 36 पृष्ठ के पासपोर्ट के पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे नाबालिगों के आवेदन अनुबंघ 'झ' में जिल्लिखित शपथ-पत्र के साथ माता-जारी कर दिया जाएगा । अन्यथा पासपोर्ट की वैधता पांच वर्षों के लिए अथवा 18 वर्ष की आयु ग्रप्त होने तक, जो भी पहले हो, सीमित होगी । एकल माता-पिता और विवाह होने से पहले उत्पन्न मानक शपथ-पत्र और पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड-IV के पैरा ग(ख) में उत्सिखित

करेंगे, जिसमें आवेदन-पत्र के साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख होगा । शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार के मुकदमे की स्थिति में वह जिम्मेदार का उल्लेख होगा, अनुबंध ग के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा । **सामान्य स्थिति में** किसी नाबालिग को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए (अनुबंध जि) माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर/सहमति आवश्यक है। तथापि, यदि आवेदक माता/ पिता के मामले में, माता या पिता में से किसी एक की सहमति <mark>चाहे</mark> जिस कारण से प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और अनुबंध " के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत बच्चे की शारीरिक उपस्थिति के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित संतान के मामले में अथवा ऐसे माता-पिता के मामले में जो न्यायिक रूप से अलग हो गए हों, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया शपथ - पत्र जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मामले के तथ्यों होगा/होगी, न कि पासपोर्ट कार्यालय । ऐसे मामलों में जहां माता-पिता में से कोई एक आवेदन हो सके कि आवेदक माता/पिता वास्तविक अभिरक्षक है।

: आवेदक सही सूचना दें । किसी तथ्य को छिपाने से प्रति अपराध 5000/- रू जुर्मीना हो सकता है और समय-समय पर यथासंशोधित पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा लागू अन्य दाण्डिक प्रावधान लागू होंगे ।

कॉलम 18 : इस कालम में मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सूचित किये जाने वाले व्यक्ति के नाम और पते और मोबाइल या टेलीफोन नंबर/ई मेल प्रस्तुत करना होगा।

दरतावेज आदि स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करने के बारे में नहीं है । इसके अलावा इस कॉलम में आवेदन पत्र में सही सूचना प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा है और यह जानकारी है कि पासपोर्ट प्राप्त करने में किसी गलत सूचना अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत एक अपराध है । आवेदक यह भी घोषणा करता है कि उसके पास कोई अन्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं है । दिये गये स्थान में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (पुरुष के लिए बाए हाथ के अंगूठे का निशान और स्त्री के मामले में दाहिने हाथ के अंगूठे का कॉलम 19 : यह कॉलम आवेदक द्वारा की गयी स्वतः घोषणा के बारे में है जो भारत की संप्रमुता, एकता और अखण्डता के प्रति निष्ठा के बारे में है और किसी अन्य देश से नागरिकता अथवा यात्रा निशान) आवेदन की तारीख और स्थान सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

उन सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों, जो आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक के ख्प में सलग्न किये गये हैं, की सूची दिये गये खाली स्थान में दी जानी चाहिए और प्रत्येक दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व-साक्ष्यांकित होना चाहिए ।

खण्ड IV -आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

किया जाना चाहिए और उसे लौटा दिया जाना चाहिए । यदि आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत यदि आवेदक, आवेदन पत्र स्वयं प्रस्तुत करता/करती है, तो समी दस्तावेजों की साक्ष्यंकित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । तथापि मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत न किया गया हो तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य को प्राधिकार पत्र देकर ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता/सकती है। यदि आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है तो मूल दस्तावेजों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक से साक्ष्यांकित कराना होगा।

(क) पासपोर्ट

- नये पासपोट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां संलग्न 76 4
- (क) पते का प्रमाण (निम्निलिखित में से एक संतरन करें) :

का पहचान-पत्र / पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, नाबालिंग के मामले में माता-पिता के पासपोर्ट की प्रति । (टिप्पणी : यदि कोई आवेदक पते के प्रमाण के रूप में केवल राशन कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे उपर्युक्त भेणियों में से पते का एक अतिरियत प्रमाण इसके साथ संत्यन करना पानी/टेलीफोन/बिजली का बिल/चालू बैंक खाते की स्टेटमेंट/आयकर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग आवेदक का राशन कार्ड, प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से लेटर हेड पर प्रमाण-पत्र, 三年 (世紀

(ख) जन्म तिथि का प्रमाण (निम्निलिखित में से एक संलग्न करें)

शैक्षणिक संस्था से जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा निस्कार अथवा अर्घ साक्षर आवेदक द्वारा अनुबंध -क किसी नगर निगम प्राधिकरण, अथवा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र ; आवेदक द्वारा अध्ययन के अंतिम स्कूल अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त में नमूने के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट / नोटरी के समक्ष तिया गया शपथपत्र तिथि/स्थान का उल्लेख किया गया हो। टिप्पणीः दिनांक 26.01.89 को अथवा उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के मामले में केवल नगर निगम प्राधिकरण अथवा जन्म-मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार्य क

- नागरिकता के कागजात, यदि आवेदक पंजीकरण अथवा नागरिकीकरण के द्वारा मारत का नागरिक थै।
- (घ) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ सांविधिक निकाय के कर्मचारियों को अनुबंध-झ के अनुसार मानक शवथ पत्र के साथ मूल रूप में " पहचान प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए (अनुबंध-खे)। (छ) यदि आवेदक " ई सी एन आर" के लिए पात्र है तो समर्थनकारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति
 - संलग्न करे । (आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेशों तथा दिशा-निर्देशों का कालम 15 देखें)
- (च) याद आवेदक ने सरकारी लागत पर देश प्रत्यावर्तन किया है तो उस व्यय को दर्शाने के लिए दस्तावेज संलग्न करे कि खर्च की गई राशि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को पूर्ण रूप से वापस की गई है।
 - तो आपातकालीन प्रमाण पत्र / पासपोर्ट के (छ) यदि आवेदक को कभी सारत लीटा दिया गया हो

- 2. 10 वर्ष के पश्चात पासपोर्ट पुनः जारी किए जाने के लिए आवेदन करना हो तो निम्निलिखित संलग्न करें
- साह्यांकित की गई फोटो प्रति, जिसमें ई सी आए ई सी एन आर के पृष्ठ भी शामिल हैं। चार पृथ्वों साथ इसके पहले चार तथा अंतिम मूल रूप से पुराने पासपोर्ट के 16
 - (ख) (1)(घ) में डिल्लिखित दस्तावेज, यदि लागू हों ।
- (ग)(1) (छ) में डिल्लिखित दस्तावेज, यदि पुराने पासपोर्ट पर ई सी एन आर मुहर नहीं हो अध्यता यह उस समय जारी किया गया हो जब आवेदक नाबालिंग था।
- (घ) यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो 1(क) में उल्लिखित दस्तावेज ।
- (छ) यदि पुराने पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम नहीं है तो अनुबंध -घ में नमूने के अनुसार विवाह के पंजीयक द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की प्रति अधवा शपथपत्र।

नाबालिय के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित संलग्न करें

- घोषणा जिसमें यथास्थिति अनुबंघ -'ज' (समी नाबालिंग आवेदकों के लिए), अनुबंघ 'ग'(एकल माता/पिता जो अलग-अलग हैं किंतु औपचारिक रूप से तलाकश्रुदा नहीं है/विवाह होने से पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा रहा हो), अनुबंघ 'झ' (जब 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच जब माता/पिता में से कोई एक, जिसके पास अपने नाबालिंग बच्चे के पासपीटे के लिए आवेदन यथास्थिति माता-पिता/ एकल माता-पिता / आवेदक माता-पिता/ कानूनी अभिभावक से एक जन्मे बच्चे के एकल माता/पिता), अनुबंध 'छ' (जब एकल माता/पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किसी नाबालिग के लिए दस वर्षीय पासपोर्ट की पूर्ण बैधता के लिए आवेदन किया जाता है अथवा करते समय वैध भारतीय पासपोर्ट न हो) के अनुसार नाबालिग बच्चे के बारे में आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की पुष्टि की गई हो । अपने बच्चे के लिए पाससपीर्ट हेतु आवेदन करने वाले एकल माता/पिता को यथास्थिति अनुबंघ "ग" और अनुबंघ 'छ' भरना चाहिए ।
- माता-पिता दोनों के पासपोर्ट, यदि कोई हो, की साक्ष्यांकित फोटो प्रति यदि लागू हो। (d)
- किया जाना चाहिए ब्योरों के सत्यापन के लिए माता-पिता के मूल पासपोर्ट को प्रस्तुत
- (घ) यदि माता-पिता मे से कोई एक विदेश में रहता हो तो विदेश में रह रहे माता/पिता को भारतीय मिशन द्वारा साक्ष्यांकित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा भारत मे रह रहे माता/पिता को शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

जाएकी यदि माता/पिता भारत से बाहर रह रहे हों तो लिए गए शपथपत्र, जिसे विदेश स्थित भारतीय मिशन टिप्पणी: सामान्य रूप से किसी नाबालिग (18 वर्ष की आयु से कम) के लिए पासपोर्ट जारी करने हेतु माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक है। तथापि, यदि किसी कारणवश यह पूर्णरूप से संभव एक शापथ पत्र ्तुन करे (अनुबंध - छ) और उसी पासपोर्ट पर आवेदन पत्र के आधार पर कार्रवाई की नहीं है तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता नाबालिग की ओर से

द्वारा साक्ष्याकित किया गया हो, में माता/पिता से ली गई ऐसी सहमति स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में द्वारा धारित वैध पासपोर्ट के ब्योरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए । इसके अलावा उन मामलों में जिनमें मानक शपथ-पत्र सिंहत माता-पिता के ऐसे तीन दस्तावेजों के आधार पर किए जा सकते हैं जिनके ब्योरे पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड IV के पैरा ग(ख) में दिए गए हैं । ऐसे सभी मामलों में उनके नाबालिग बच्चों को पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा । सभी आयु के बच्चों को जिनमें नाबातिग बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों, माता-पिता दोनों या माता-पिता में से किसी एक अनुबंध 'झ' ऐसे नाबालिगों के लिए आवेदन अलग-अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जाना चाहिए । मता-पिता के पास वैध पासपोर्ट न हो,

दी जाएगी । यदि नाबालिय बच्चा 15-18 वर्ष की आयु के बीच है, और 10 वर्ष के लिए पासपीर्ट की पूर्ण वैधता प्राप्त करना चाहता है तो अनुबंध 'झ' में यथा निर्दिष्ट मानक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस सत्यापन के बाद तथा माता-पिता द्वारा पासपोर्ट सूचना पुस्तिंका के खंड-IV के पैरा ग (ख) में उल्लिखित 14 कागजातों में से किन्ही तीन कागजात और किसी प्रौढ़ के लिए यथा लागू अदायगी पर उसे जारी किया जा सकता है । एकल माता/पिता या ऐसे माता/पिता जो अलग-अलग तथापि, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 5 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु तक पासपोर्ट की वैधता 36 पृष्ठीय पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट शुल्क अर्थात 1000/- रू. के समतुल्य शुल्क की के मामले के 'अनुबंध-'ग' रह रहे हो किंतु औपचारिक रूप से उनका तलाक नहीं हुआ हो उल्लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

दत्तक बच्चों के लिए

दत्तक बच्चों के मामले में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाने हैं :

- (1) मारतीय कानून के अनुसार वैघ दत्तक विलेख।
- मुसलमान तथा पारसी के मामले में अभिमावकता प्रदान करने वाला और बच्चे के बाहर ले जाने की अनुमित देने वाला न्यायालय आदेश। (ii) इसाई,
- (iii) संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पादित गांरटी की प्रित

(ख) नाम में परिवर्तन

II "विवाह, पुनर्विवाह अथवा तलाक के बाद

- वाली किसी नाम/ उपनाम बदलने 妆 पासपोर्ट निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा : कारण मीजूदा विवाह के
 - (i) पति के पासपोट, यदि कोई हो, की फोटो प्रति, और
- (ii) विवाह पंजीयक द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की एक साक्ष्यांकत प्रति अथवा जिसमें दोनों का फोटो एक साथ साक्यांकित हो पि और पत्नी की ओर से एक शपथ-पत्र दिए गए नमूने के अनुसार (अनुबंध -घ में

- (ख) मौजूदा पासपोर्ट में पति-पत्नी का नाम बदलने अथवा नाम हटाने के लिए आवेदन करने वाले तलाकशुदाओं को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगाः
 - (i) तलाक डिक्री की प्रमाणित प्रति
- (ii) एक पक्षीय विलेख/ लिया गया शपथ-पत्र (अनुबंध ङ)
- पुनर्विवाहित आवेदकों करने वाले आवेदन लिए निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा नाम/पित/पत्नी का नाम बदलने के E
- (i) प्रथम पति/पत्नी के संबंध में यथा स्थिति तलाक विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र और
 - (ii) दूसरे विवाह से संबंधित उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कागजात ।

नाम बदलने के लिए आवेदक (पुरुष तथा स्त्री दोनों) को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगाः II अन्य परिस्थितियों में,

- i) एक पक्षीय विलेख/ लिया गया शपथ-पत्र (अनुबंध 'ङ')
- दो प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों की कतरन (एक दैनिक समाचार पत्र को आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते के क्षेत्र अथवा निकटतम क्षेत्र का होना चाहिए ।

तत्काल स्कीम के अन्तर्गत बिना-बारी के पासपोर्ट जारी किया जाना ।

- यदि कोई आवेदक तत्काल स्कीम मे अन्तर्गत पासपीट प्राप्त करना चाहता है तो अनुबंध "चै में दिए गए नमूने के अनुसार एक सत्यापन प्रमाण - पत्र और अनुबंघ "झ" के अनुसार मानक शपथ पत्र **तत्काल शुब्क** के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सत्थापन प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का उस अधिकारी से लिखित में वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन, दस्तावेज नीचे यथा निर्दिष्ट शुल्क में बाद में पुलिस सत्यापन कराए ज़िसने उसे जारी किया है । तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट चाहने किसी प्रमाण की प्रस्तुत करें । बिना बारी के पासपीट जारी किए जाने के लिए अतिशीधता के आवश्यकता नहीं है । बिना बारी के पासपोर्ट जारी किए जाने के सभी मामलों सत्यापन किया जाएगा। (d)
- आवेदक को यह भी विकल्प होगा कि नीचे दिए गए अनुसार चौदह दस्तावेजों में से तीन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल स्कीम के अंतर्गत पांसपोर्ट प्राप्त करें जिमसें से तीन 2 सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपने आवेदन दस्तावेज नीचे यथा निर्दिष्ट शुल्क प्रस्तुत पासपीट चाह्ने वाले दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और कम से कम एक दस्तावेज उनमें के अनुसार नोटरी विधिवत साध्यांकित शपक्ष - पत्र हो। तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के हो जिनका उल्लेख नीचे (क) से (झ) में किया गया है और अनुबंध-'झ' (d)

पहचान और शाष्ट्रकता का प्रमाण (कृपया निम्नलिखित चीदह दस्तावेजों में से तीन दस्तावेज संलग्न करें जिनमें से तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और कम से कम एक दस्तावेज उनमें से हो जिनका उल्लेख नीचे (क) से (झ) में किया गया है और अनुबंध गए अनुसार गैर-न्यायिक पेपर पर मोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित मानक शपथ-पत्र हो)

आयकर -पहचान (पैन) पत्र; (ट) बैंक / किसान/डाक घर पास बुक; (ठ) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए छात्र पहचान पत्र; (ड) ब्राइविंग लाइसेंस और (ड) आर बी डी (ज) पेशन संबंधी (क) मतदान फोटो पहचान पत्र; (ख) राज्य /केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सी/एस टी / ओ बी सी प्रमाण-पत्र ; (घ) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; (छ) आयुध लाइसेस, (च) विधवा पेंशन आदेश; (झ) रेलवे पहचान पत्र;(ज) पूर्व सैनिक की विधवा / किसी गए सेवा पहचान पत्र; पंजीकृत विलेख आदि, (छ) राशन काई, दस्तावेज दस्तावेज जैसे-पूर्व सैनिक की पंशन बुक / पंशन भुगतान आदेश, निकायों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र आश्रित प्रमाण-पत्र, वृद्धावस्था पेशन आदेश, संपत्ति संबंधी दस्तावेज जैसे - पट्टा,

(उपर्युक्त सभी दस्तावेज मूलरूप में स्व-साक्ष्यांकित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे)

तत्काल शुल्क, लागू पासपोर्ट शुल्क के अतिरिक्त होगा और नकद या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के बारी के तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त डिमाण्ड झाफ्ट के रूप में देय होगा | बिना शुल्क निम्नानुसार होगाः नया **पासपोर्ट**

न की तारीख से 1-7 दिन के अंदर 1,500/-रू. + यथा लागू पासपोर्ट शुत्क	न की तारीख से 8-14 दिन के अंदर 1000/-रू.+ यथा लागू पासपोर्ट शुत्क	
ो तारीख से	ो तारीख से	
आवेदन क	आवेदन क	पासपोट
	2	इस्नीकेट

र शुलक	शुलक
लागू पासपो	गामु पासपोर्ट
00/-रू. + यथा	00/-रू.+ यथा ल
अंदर 2,5	हे अंदर 1,50
ते १-७ दिन के	रे 8-14 दिन व
की तारीख र	की तारीख र
आवेदन	आवेदन
den,	2

10 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद पासपोर्ट पुनः जारी किए जाने से संबंधित मामले

-		
Carban Comment of the	र्शेक्क	ū
	पासपोर्ट	
-	Ello Selection of the selection of the s	
Annual Control of the Party of	यथा	
	+	
	,500/-标	
	4	
	16	
	दिवसो	
	कार्य	
	(C)	
	乍	
	तारीख	
	40	
	आवेदन	अंदर
The second secon	den	

(घ) ऐसी कंपनियों के स्वामी, भागीदार और निदेशक जो सी आई आई, फिक्की और एसोचेम की सदस्य हैं, को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए । आवेदकों को अनुबंध 'झ' के अनुसार मानक शपथ - पत्र के साथ अनुबंध (ज) में दिए गए अनुसार सत्यापन प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा, ।

करना चाहता है तो ऐसे मामले में आवेदकों को पासपोर्ट सामान्य अवधि में पुलिस सत्यापन के बाद उल्लिखित तीन (3) दस्तावेज हैं किंतु तत्काल के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त शुक्क अदा IV के पैरा ग(ख) (क) में (छ) यदि किसी आवेदक के पास सत्यापन रिपोर्ट और अथवा खण्ड जारी किया जाएगा ।

(च) गुम/क्षतिग्रस्त पासपोटौं के मामले:

करना होगाः आवेदक को पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर उसे निम्नलिखित विलेखों के साथ प्रस्तुत

- मूल रूप में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) ---
- पुराने पासपोर्ट का पहला और अन्तिम बार पृष्ठ। (I
 - यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो पते का प्रमाण। 1

खण्ड- v शपथपत्र/घोषणा का नमूना अनुबंध - 'क

IV के पैरा क(ख) में उत्लिखित कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध होने की स्थिति में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना (गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा) अशिक्षित आवेदको द्वारा खंड

पुत्र/पत्नी/पुत्री	वर्तमान निवासी निम्नलिखित अभिकथन करता हूँ : मेरा जन्म राज्य	जिले में स्थित में हुआ । जन्म स्थान और जन्म तिथि के	समधीन में मेरे पास कोई दरतावेजी प्रमाण नहीं है । मेरे पास कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है । मैं	अशिक्षित व्यक्ति हूँ ।	में शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा/ प्रतिज्ञान करता हूँ कि मेरे द्वारा उभर प्रस्तुत किए
1	0	10	B	ch	T

विवरण सही हैं और मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है अथवा झुठा नहीं दिया है ।

स्थान

है तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्यापित N N क्रि HE HIE उपर्युक्त शपथ-पत्र की अंतिवस्तु सत्य एवं छिपाया नहीं गया है। दिनांक. इसमें कोई तथ्य

शपथ पत्र की अंतर्वरतु मुझे पढ़कर सुनाई गई

अभिसाक्षी साक्ष्यांकित

साक्ष्यांकित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसकी

कार्यालय मुहर

टिप्पणी : शपथपत्र "मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा । नोटरी के मामले में नोटरी - स्टैम्प आवश्यक होगा ।

अनुबंध-'ख'

केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के

कर्मचारियों को पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (जो लागू न हो, उसे काट दें) (मूल स्टेशनरी में डुप्लीकेट रूप में दिया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पत्नी/श्री
(तारीख) से	
के/की अस्थायी/स्थायी कर्मचारी	है और वर्तमान
में के पद	पर कार्यरत हैं ।
श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी जो श्री/श्रीग	ाती की
आश्रित परिवार के/की सदस्य हैं और उनकी पहचान प्रमाणित है	
को उन्हें पासपोर्ट दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । अधोहस्ता	
हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है । मैंने पासपोर्ट अधि	
प्रावधानों को पढ़ लिया है और प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदक	
। मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाने की सिफारिश करता	41
यह संगठन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उ	
श्री/श्रीमती (कर्मचारी) की पहचन पत्र सं	
संदर्भ सं. और तारीख	
तथा टेलिफोन नं.	*
	नाम
A gran	पदनाम
	दूरमाष

आवेदक का फीटो प्रमाणीकरण प्राधिकारी झरा सावयांकित किया

अनुबंध - 'ग्

ALC.	18	
E	2	
饭	10	
अलग	15	
怎	प्रथा	77
5	乍	Þ
2	怎	IIda
5	ne.	Parts.
THE STATE OF	विवाह	0
मं सं किसी	अधवा	E
MX	8	E
Name In		de
作	TE	C
Boom	SE SE	K
माता-पिता	18	HE
F	पलाक	40
22/	E	pac.
E	শ্ব	þ
16	5	E
TU	150	官
F	5	62
F	T T	E S
15	100 mg	E
B	her	Œ
le.	5	E
E	19	Pr-
नाबातिग	किये	day

(गैर-न्यायिक स्टाम्य पेपर पर निष्पादित किया जाए)

	मैं (एकल माता/पिता का नाम)जो कि एक नाबालिग बच्चा है, की/का माता/पिता हूँ और उसके पासपोर्ट के लिए मैंने उसकी ओर से आवेदन किया है।	2. मैं(नाबालिक का नाम) की माता/पिता से न्यायिक रूप से अलग हूँ अथवा	मेरे और श्री/सुश्री (नाबालिक बच्चे के / की पिता/ माता का नाम) के बीच कानूनी रूप से अब कोई वैध विवाह नहीं रह गया है।	अथवा	=====================================	3(नाबालिंग का नाम) अलग होने /प्रसव के बाद से अनन्य रूप से मेरी देख- रेख और अभिरक्षा में है।	an Dura.	अभिसाक्षी के हस्ताक्षर तथा पता	(प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अधवा नोटरी पब्लिक के समझ लिया गया शपथ पत्र 🏻
--	--	---	--	------	---------------------------------------	--	----------	--------------------------------	--

अनुबंध - 'घ'

का नमूना (उसके पति के साथ प्रस्तुत विवाह के पश्चात नाम में परिवर्तन करने के लिए किसी महिला आवेदक द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र किये जाने वाला संयुक्त शपथपत्र)

(इसे गैर-चायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

	(पत्नी का विवाह पूर्व नाम)	(पित का नाम)
**		
T	4	ci.

सत्यमिष्ठा से निम्मानुसार यह घाषणा और प्रतिज्ञान कप्ते हैं किः

- 1. हम विवाह अधिनियम/अधिकार/पुरंपरा औः (विवाह की तिथि) से विवाहित पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं।
- हमारा विवाह हो जाने के कारण नाम (विवाह के बाद नाम) से जानी जाएगी।
 - हमारा संयुक्त फोटो नीचे लगा हुआ है। आमिसाबियों के हस्ताक्षर तथा पता तारीखः

टिप्पणीः १. यह शपथपत्र मैजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष लिया जाए ।

- तरफ बिल्कुल नीवे रबड़ की मुहरू (आया फोटोग्राफ पर और आया शपथपत्र पर) साक्ष्यांकित किया जाएगा । To The पति-पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ शपथपत्र कागज के बाई चिपकाया जाएगा और मैजिस्ट्रेट /नोटरी द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा
- को छोड़ पित/पत्नी के नाम का पृष्ठांकन करना चाहते हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त घोषणा-2 3. जो आवेदक पूर्व में जारी किए गए पासपोर्ट को पुनः जारी करने के

नाम में परिवर्तन करने के लिए शपव्यपत्र/ एक प्रशीव विलेख/लिए गए शपथ-पत्र का नमूना

Communicate publicate part for the period from the part of the period of

.. (पिछला से घोषणा करता है नाम) से जाना जाता था और.....(व्यवसाय अथवा पेशा का उत्लेख करें) के रूप इस विलेख के द्वारा में, अधोहस्ताक्षरी.....(नया नाम) पहले में कार्य कर रहा हूँ तथा.....(पता)का निवासी हूँ, सत्यनिष्ठा कि

में स्वयं तथा अपनी और से अपनी पत्नी और बंच्चे तथा रिमेटर इंशू पूर्णक्ष्य से अपने पिछले नाम/ऊपनामें करता हूँ और उसके स्थान पर में एतद द्वारा आज की तारीख से नाम/उपनाम धारण करताके धारित नाम/उप नाम से बुलाया / जाना जाए और पहचाना और समिटर इसू को जाए, न कि मेरे पिछले नाम /उपनाम से हैं और मुझे और मेरी

- पुष्ठ इसके बाद सदैव 本花花 अपना नाम/उपनाम का प्रयोग कर्लगा/कर्लगी और हस्ताक्षर कर्लगा/कर्लगी । समी रिकाडौं, विलेखों तथा लिखतों में तथा सभी कार्यवाहियों, संव्यवहारों, नेरे ऐसे निश्चय के साक्ष्य स्वरूप में यह घोषणा करता/करती हूँ कि मै निजी और समी अवसरों पर अपने पिछले नाम/उपनाम के स्थान पर... N
 - में प्राधिकृत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे तदनुसार इसके पश्चात उक्त घारित नाम/उपनाम से हर समय मुझे, मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चों को और रेमिटर इशू को मैं सामान्य रूप से सभी व्याक्तियों, और विशेष रूप से अपने संबंधियों, मित्रों को स्पष्ट रूप नामोहिष्ट और संबोधित करें। (7)
- किया है।दिन को अपने हस्ताक्षर करता हूँ इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने इसमें और अपने पूर्व और अंगीकृत उपनाम का सत्यापन और मुहर यदि कोई हो, लगाता हूँ । वर्ष

तारीख

निम्नितिष्वत की उपस्थिति में

उपर्युक्त नाम से हस्ताक्षरित, मुहर तथा परिदत्त

नामः

明品

491:

(इस एक पक्षीय विलेख/ शपथपत्र पर मैजिस्ट्रेट/नोटरी अथवा विदेश स्थित भारतीय कौंसली अधिकारी की उपस्थिति में हरताक्षरित और सक्ष्यांकित किया जाए) । टिष्पणी: नाम परिवर्तन के मामले में, आवेदक द्वारा दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों (एक उसके निवास स्थान का स्थानीय समाचार पत्र और दूसरा उसके स्थायी पते का स्थानीय समाचारपत्र) में दिया गए विज्ञापन शामिल किए जाने चाहिए और अपने नए नाम से पासपोर्ट का आवेदन करने के समय मूल समाचारपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध - 'च'

सत्यापन प्रमाण -पत्र का नमूना (केवल तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए) (सत्यापन प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी पर)

अनुबंध-झ) के अनुसार मानक शपथपत्र के साथ दो प्रतियों में दिया जाए)

आवेदक का फोटो

सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी, आवेदक का फोटो अपने हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर से इस तरह से साक्ष्यांकित करे कि उसके हस्ताक्षर तथा मुहर आधा फोटो पर तथा आधा प्रमाण -पत्र पर हो ।

सत्यापन प्रमाण-पत्र

यह	प्रमाणित	किया	जाता	\$	कि
श्री/श्रीमती/कुमारी	5 4 - 2 - 2 3 3 2 + 3 + 4 + 4 + 7 + 12 + 7		′पत्नी/पुत्री	f	जेनका
व्यक्तिगत ब्यौरा नीचे					
धारा 6(2) के उपबंध					
उपबंघ लागू नहीं हे			61		
आवेदक अपने पते प				441	D.
		1 (1 (1 (1)))	9 801 01		
जन्म तारीख					
जन्म स्थान					
शैक्षणिक योग्यता					
व्यवसाय (सरकारी/नि					
स्थायी पता				,	
वर्तमान पता			*		
स्थान					
कार्यालय का पता त तारीख		4			
ताराख		कार्यालय की मुह	-		
		कावालय का नुह	<u></u>		
		पूरा नाम			
		ग्दनाम		·	**********
		पहचान पत्र सं0	A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$g_{\mathcal{A}} = I$	pro of		*	पत्र की प्रति संव	
		टेलीफोन (कार्यालय).	7		
	3	नोबाइल सं0			

- और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी होना अपेक्षित है और टिपाणी: 1 सत्यापन प्रमाण पत्र पर आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना भी अपेक्षित है उसके हस्ताबार तथा खड की मुहर इस रूप में हो कि हस्ताबार तथा मुहर का आधा भाग फोटो पर तथा आधा भाग प्रमाण पत्र पर हो।
- 2. यदि आवेदक ने पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थान पर निवास किया तो सभी पूर्व पतो तथा संगत तिथियों का उल्लेख किया जाना चाहिए
 - 3. यह सत्यापन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए
- भारत सरकार का कोई अवर सचिव/ उपसचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव/ अपर सिवेव/विशेष सिवेव/सिवेव/मंत्रिमंडल सिवेव।
- राज्य सरकार का निदेशक/संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव।
- न्यायिक आवेदक के निवास के जिले का कोई सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट / अपर मैजिस्ट्रेट / मैजिस्ट्रेट। (III)
- पुलिस अधीक्षक/ टिन 部 6 किल कि बी.आई.जी./आई.जी./बी.जी.पी.। निवास (IV)
- थल सेना में मेजर और इससे उपर, नी सेना में ले0 कमांडर तथा इससे उपर, वायु सेना में स्कवाद्रन लीडर तथा इससे ऊपर। 3
 - किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का महाप्रबंधक। (2)
- किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा के सभी सदस्य जिनका पद भारत सरकार के अवर सचिव के समकक्ष तथा इससे उमर है अर्थात जिनका वेतनमान 10,000-15,200 अथवा इससे अधिक है। (VIII)
- सभी राज्य सरकारों के दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्त/अपर रेजिडेंट आयुक्त - vent
- आवेदक जिस क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र की अधिकारिता के अंतर्गत संबंधित तहसीलवार अथक संबंधित एस.एच.ओ.। (ix)
- निधारित फिक्की सी आई आई और एसोचेम की सदस्य कंपनियों के स्वामियों, साझीदारों और म् के संबंध में संबद्ध शीर्ष व्यापार संगठन के अध्यक्ष -अनुबंध प्रोफार्म में । X
 - कोई ऐसा अधिकारी जो गलत सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करता है, के विरुद्ध पासपीट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है।
 - पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(ग)

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा एक से अधिक आधार पर न कि अन्य आधार पर खंड (ग) की उपधारा 5 के अंतर्गत विदेश यात्रा के लिए पासपीट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना कर देगा अर्थात

- (क) आवेदक भारत का नागरिक न हो ।
- आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संनिप्त हो या होने की संभावना हो जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकृत हों । (<u>1</u>

- आवेदक का भारक से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो । E
- आवेदक का भारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ भारत के भेड़ी हैं संबंध प्रतिकूल हो सकते हो अथवा होने की संभावना हो । वि
 - अध्येता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषिस्द किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा आवेदमा की सिक्षि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान नैतिक सुनायी गई हो। ())
- आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही भारत के किसी न्यायालय के समझ लंबित हो । वि
- TO COME STATE OF उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समने, अथवा जिल्फतारी हेतु वारंट जारी किया गया हो, अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न करने का आदेश जारी किया गया हो। तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की B
- आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में The state of the s व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो । E

अनुबंध ।

然不敢以我的我们, 其他是 (我) 以(社) (1)

आवेदक मासा-विता अधवा अभिमावक की घोषणा, गर-ज्यायिक स्टाम्य पेपर पर न्यायिक मिनेस्ट्रेट यदि पासपोट नाबातिम बच्छे के लिए है (माता-पिता में से फिस्सी एक ने सहनति न दी था)सो 治 MAR FOLD ある ある ある は 配金 は 配金 は の金 122 के समझ लिया जाने वाला शपवयत्र का फार्न

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PROPERTY STEEDS OF THE PARTY OF TH

SA SAME SAME AND

प्रतिज्ञान करता है/करते हैं और एसियाम कि कियी हा के सिर्फ कि कार क

(पासपोर्ट का आयेदन करने वाले गाता-पिता / अभिभावक का नाम)

- माता/पिता/माता-पिता /अभिमावक हैं/ हैं और उसकी ओर से पासपीर्ट के लिए आवेदन किया है।जो नाबालिग बच्चा है, (नाबालिग बच्चे का नाम) उसकी ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। 2. श्री/श्रीमती जो बच्चे के पिता / माता-पिता/ हैं,
- हस्ताक्षर/की केवल मैं /हम(नाबालिग बच्चे का नाम) की देखमाल कर रहा हूँ / कर रहें। 16 2. त्रा/श्रामता सहमति मैंने निम्नितिखित कारणों से नहीं ली है:
 - वह विशिष्ट रूप से मेरी / हमारी शारीरिक अभिरक्षा में है ।
- का पासपोर्ट जारी किए जाने के नांबालिग JE. 40 हैं करते(नाबातिय बेखे का नाम) करवा प्रतिशान उत्पन्न किसी मुकदमे के मामले में ¢Ŧ N N ic.

मैं/ हम मामले का प्रतिवाद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं न कि पासपोर्ट जारीकर्त्ता प्राधिकारी।

> पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता/माता-पिता/अभिभावकों के हस्ताक्षर तथा पते

तारीखः					
	*				
Side with the later ago, ago, 600 600 file with east and \$100 ggs, ago, ago, ggs, ggs, state the	නා කතා පුතුර සිරි දවුව දවුව දෙයා පුඩා දෙයා දැනු දැනු මට මට පතා කත ගොමට දැනු පුතු	ママン (40 cm (40	20 40 46 40 40 60 60 ⁶⁰ 10 00 00 00 00	40-40-00:00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	CD රැකි core were අනුල අනුල ලැල ලැල ගතා som som කිරම ඇත. අනුල අනුල

अनुबंध - 'ज'

यदि पासपोर्ट नाबालिंग बच्चे के लिए हैं: सादे कागज पर आवेदक माता-पिता अथवा अभिभावक की

घोषणा

मैं/हम(नाबालिंग बच्चे का नाम)
पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती जिसका मैं /हम /एकल माता-पिता/आवेदक
माता-पिता/ अभिभावक हूँ/हैं, के संबंध में ऊपर दिए गए ब्यौरों की पुष्टि करता हूँ/करते हैं । वह
भारत का /की एक नागरिक है। उसकी जन्मतिथि/जन्म स्थानहैं। मैं/हम उसके
खर्च की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का वचन देता हूँ/देती हूँ/ देते है । मैं / हम सत्य निष्ठा से घोषणा
करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि उसने भारत की नागरिकता नहीं खोई है/ अम्यर्पित नहीं की है /
से वंचित नहीं है और आवेदन पत्र में उस संबंध में दी गई सूचना सच है। यह भी प्रमाणित किया
जाता हैं मैं / हम वैध भारतीय पासपोर्ट (पासपोर्टों) का धारक हूँ / धारक हैं / धारक नहीं हूँ / धारक
नहीं हैं और उल्लिखित बच्चे के नाम को दोनों में से किसी भी माता-पिता के पासपोर्ट में शामिल
नहीं किया गया है ।

	1			
;			अथवा	
पिता (हस्ताक्षर)	/	माता(हस्ताक्षर)	विधिव	जभिभावक (हस्ताक्षर)

अनुबंध - 'म्रा'

Kh-lahlà

साक्ष्यांकित	
2	
पाल्लिक	
नोट्री	
अ	
25	
किया	
नियान	
4	
पेपर	
स्टाम	
गैर-न्यायिक	
(समुदित	किया जाए

(एक मूल तथा एक स्व साक्ष्यांकित प्रति)

5 5 6	अर्	
A Para	प्रतिज्ञान	
F-5	निम्नानुसार	
निवासी.	एतद्द्वारा	
	当	
	16	
	怎	
पुत्र श्री	आवेदक	
नाम)	F)	
E	16	
	售	
		ohos
	जारी किए	करत
of C	पासमीट	अभिकथन

- मेरे माता-पिता तथा मेरे पति/पत्नी का नाम इस प्रकार हैं
- (E) (Fig.
- (11) माताः
- (iii) 品/配
- .से रह रहा/रही हूँ। उपर्युक्त पते पर लगातार oi.
- जन्म / वंश/पंजीकरण/नागरिकीकरण से भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य देश । नागरिकता अर्जित नहीं की है अथवा न ही अभ्यर्पित की है अथवा न ही मेरी भारतीय की नागरिकता अर्जित नहीं की है अथवा न ही अभ्यर्पित की
- नागरिकता समाप्त हुई है अथवा न ही मैं उससे वचित हुआ/हुई हूँ। मैं इस शपथ-पत्र की पिछली तिथि के ठीक बाद के पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी मी समय भारत में किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी करार नहीं दिया गया हूँ जिसमें नैतिक अधमता शामिल है और न ही उसके संबंध में मुझे कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सजा दी गई है।
- मेरे द्वारा किए गए भारत के किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष तथाकथित रूप से केसी अपराध से संबंधित कार्यवाही लंबित नहीं है w
- वारट है और किसी तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी न्यायालय द्वारा मेरी उपस्थिति हेतु बाहर जाने से निषंध नहीं किया गया है। अथवा कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया न्यायालय के आदेश द्वारा मुझे भारत से समन
- हुआ/हुई मारत सरकार के खर्च पर विदेश से भारत में प्रत्यावर्तित हुआ/हुई हूँ किंतु ऐसे प्रत्यावर्तन भी विदेश से भारत में प्रत्यावर्तित नहीं संबंध में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की गई है। मैं भारत सरकार के खर्च पर कभी
 - मंनिय 妆 भारत की संप्रमुता तथा अखंडता के प्रतिकृल कार्यकलापों न विदेश 1 Co. 1 co
- मेरा भारत से बाहर जाना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा। တ်
- संबंधों पर मेरा भारत से बाहर जाना किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्री प्रमाव नहीं डालेगा। 6

स्वान

तारीखः

अमिसाझी:

सत्यापन

तारीख	को	(खान) में	सत्यापित किया	जाता है कि उलि	लखित
शपथ -पत्र	की अंतिवस्तु सत्य अ	र सही है तथा इसमें को	ई सामग्री छिपाई	नहीं गई है।	
	a see confirm the	6 - 6 70 ISA 3-6	of the late of		N 1.45

अभिसाक्षीः

्**अनुबंध 'अ'** हर है बुक्स के प्राप्त कर है कि देश के र नमुना प्रमाण-पत्र

(शीर्ष व्यापार संगठनों के अध्यक्ष द्वारा संबंधित चैम्बरों की सदस्यता वाली कंपनियों के मालिक, भागीदार अथवा निदेशकों को {मानक शफ्थपत्र जैसा कि अनुबंध 'झ' पर संलग्न है के साथ दो प्रतियों में } दिये जाने के लिए)

(सत्यापन करने वाले प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी)

If there is the law is the self in the first in the term on the

संदर्भ संख्या । १८७४ किल हुन्दर्भ की एक का अपने के किए प्रतास कर पहला के अपने एक एक

ार हो । ते होने के क्षेत्र के कहार पहल पहल हैं है के हैं कहीहर करने हैं के कि के कि के कि आवेदक का

1075

(सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं रबड़ स्टैंप आवेदक के फोटो पर इस तरह लगा कर साक्ष्यांकन किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर तथा मोहर का आधा भाग फोटो पर हो तथा आधा भाग प्रमाण-पत्र पर हो)

्या पुरुष एक की है के विकास के स्वापन प्रमाणित्यत्र का अगापन किया के किया कर के का अगापन प्रमाणित्यत्र का अगापन के किया के किया कर के का अगापन के किया के किया के अगापन के

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री जिनके वैयक्तिक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, सच्चरित्र एवं प्रतिष्ठित हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की घारा 6(2) के प्रावधानों को पढ़ लेने के बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये! प्रावधान आवेदक के मामले में लागू नहीं होते हैं और मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करता हूँ । आवेदक अपने पते पर पिछले एक वर्ष से निरन्तर रह रहा/रही है ।

भीग	II	— ব্রুতন্ত	3	(i)	

भारत	ব্যা	राजपत्र		असाधारण
------	------	---------	--	---------

22

जन्म तिथि		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
जन्म स्थान				
शैक्षणिक योग्यता	9 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
व्यवसाय	**************************************			
स्थायी पता	402000000000000000000000000000000000000			
	9 # # # # # # # 0 0 0 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 7 W 0 G 0 0 0 5 W 0 0 0 0	8 0 2 7 0 8 9 6 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0		
वर्तमान पता	************			
	*********************			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
स्थान	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
कार्यालय पता तथा स्था	T			
दिनांक	****		हस्ताक्षर	*************
	. *			
	3	कार्यालय की मोहर	ξ	
		पूरा नाम .		******
		पदनाम .		
		चैम्बर का नाम .	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		टेलिफोन सं. (का	.)	(न.)
		मोबाइल सं		

टिप्पणी:

- अविदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, सत्यापन प्रमाण-पत्र पर भी लगा होना आवश्यक है और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं खड़ स्टैंप के साथ इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर एवं स्टैंप का आधा भाग फोटो पर हो और आधा भाग प्रमाण-पत्र पर हो ।
- 2. यदि आवेदक गत एक वर्ष के दौरान एक स्थान से अधिक स्थान पर रहा हो तो सभा पूर्ववर्ती पतों का संगत तिथियों के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- 3. गलत सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धास 12(2) के तहत अभियोग चलाया जा सकता है।
- 4. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की घारा 6(2) (ग)
 इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन पासपोर्ट प्राधिकारी किसी दूसरे देश की यात्रा
 करने के लिए खण्ड (ग) उप-धारा 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसी एक या एक
 से अधिक आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने
 से मना करेगा, नामतः
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक न हो ।
 - (ख) आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो या होने की संभावना हो जो कि भारत की संप्रभृता और अखंडता के प्रतिकृत हों ।

- आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो । E
- का मारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ मारत के मैत्री आवेदक च
 - अधमता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषिसिद्ध किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा संबंध प्रतिकूल हो सकते हों अथवा होने की संभावना हो । आवेदन की तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान नैतिक सुनायी गई हो। (M)
- आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही मारत के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।
- उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समन, अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो, अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की करने का आदेश जारी किया गया हो ।
 - आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो। 15

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अपराधों के लिए दण्ड

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की घारा 12(1) (ख) के अंतर्गत सूचना छिपाने के लिए लगाए जाने वाले दण्ड का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	छिपाई गयी सूचना का स्वरूप	शिक्षित आवेदकों के	अशिक्षित आवेदको
20. 11.	ing and fam of the	लिए राशि (रू.)	के लिए राशि
		in the fact	(জ.) में
(i)	यदि आवेदक का नाम माता-पिता के पासपोर्ट	500/-	शून्य
	पर पृष्ठांकित किया गया है और आवेदक की	ž	61
	उम्र 18 वर्ष से कम है और अलग पासपोर्ट		
	के लिए आवेदन करते समय इस बात का	6.	195
	उल्लेख नहीं करता है कि उसका नाम उसके		
	माता-पिता के नाम में पृष्ठांकित है ।		
(ii)	यदि आवेदक का नाम माता-पिता के पासपोर्ट	1000/-	500/-
	पर पृष्ठांकित किया गया है और आवेदक की		
	उम्र 18 वर्ष से अधिक है और अलग पासपोर्ट		
	के लिए आवेदन करते समय इस बात का		
	उल्लेख नहीं करता है कि उसका नाम उसके		Andrews Committee of the Committee of th
	माता-पिता के पासपोर्ट में पृष्ठांकित है।	5 - 2	na et a marria gamen
			1
(iii)	उपर्युक्त दोनों मामलों में यदि माता-पिता के	कोई जुर्माना नहीं	कोई जुर्माना नहीं
	पासपोर्ट की वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो		of the same of the
	चुकी है।		* 3 (2)
(iv)	यदि आवेदक ने पूर्व में पासपोर्ट के लिए	1000/-	500/-
· · · · · · ·	आवेदन किया हो और पासपोर्ट जारी किये		The Parameter of the Pa
	बिना ही फाइल बंद कर दी गयी हो अथवा		
	बिना सुपुर्दगी वापस हो गया हो और		
	वैयक्तिक विवरण में कोई परिवर्तन न हुआ		
	हो और आवेदक पूर्व में किये गये आवेदन का		Million consistence of the constraint of the con
	उल्लेख नहीं करता है ।		
(v)	यदि पिछले पासपोर्ट की वैद्यता अवधि समाप्त	2000/-	500/-
3 7	हो गयी है और सूचना नहीं दी गयी है।		· ·
(vi)	यदि आवेदक के पास राजनियक/सरकारी	500/-	500/-
3 6	पासपोर्ट है और वह साधारण पासपोर्ट के		Applications of the Control of the C
,	लिए आवेदन करते समय इसका उल्लेख नहीं		SINCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE

	करता है ।		
(vii)	यदि अपने स्थायी पते से दूर किसी हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी अपने स्थायी पते वाले क्षेत्र के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट	500/-	500/- (नाबालिग के संबंध में जहाँ माता-पता अशिक्षित
And the second s	कार्यालय में आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र में साक्ष्य के साथ अपने वर्तमान पते का उल्लेख नहीं करता है।		ぎ ()
(viii)	यदि आवेदक इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसने पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और यह दावा करता है कि उसे पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ और हालांकि पासपोर्ट " बिना सुपुर्दगी के वापस " का कोई रिकार्ड नहीं है तो आवेदक से एफ आई आर के साथ डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है।	(डुप्लिकेट पासपोर्ट	
(ix)	(क) यदि पासपोर्ट में ई सी एन आए/पी सी सी के मुहर अथवा किसी अन्य छाप की धोखाधड़ी की जाती है तो आवेदक का साक्षात्कार लिया जा सकता है और यदि ऐसा किसी एजेंट ने किया है तो उसका नाम और पता लिखित में लिया जाना चाहिए ।	5000/-	5000/
	धोखाधड़ी से कियं गयं पृष्ठांकन को रह करके पासपोर्ट आवेदक को सौंप दिया जाना चाहिए । (ख) यदि आवेदक को दूसरी पुस्तिका की आवश्यकता है तो डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क अथवा 2500रू. लिया जाना चाहिए ।	5000/- + 2500/- (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)	
(x)	यदि घोखाधड़ी वाले पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है तो 1000 रू. के साधारण शुल्क के साथ नया पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।	(साधारण पासपोर्ट	
(xi)	कोई सरकारी सेवक, जो साधारण पासपोर्ट के अपने आवेदन में अपने नियोजन का पूरा ब्यौरा नहीं देता है।	2500/-	2500/-
(xii)	यदि आवेदक सही-सही वैवाहिक स्थिति का उल्लेख नहीं करता है और उसकी वैवाहिक स्थिति के संबंध में कोई मामला पंजीकृत है।	2500/-	2500/-

(xiii)	यदि आवेदक अपनी जन्म तिथि/जन्म-स्थान (छोटे-मोटे परिवर्तन) के संबंध में गलत सूचना देता है ।	1000/-	500/
(xiv)	भूलवश वैवाहिक स्थिति/पति/पत्नी का नाम इत्यादि से संबंधित सूचना को छिपाया जाना।	500/-	500/-
(xv)	यदि किसी आवेदक के पास वैध पासपोर्ट है अथवा वैयक्तिक विवरणों को छिपाता है / बदल देता है, अथवा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला. लंबित है और आवेदन में इसकी जानकारी नहीं दी गयी है।	5000/-	2500/-

टिप्पणी (i) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12, के तहत कोई व्यक्ति, किसी वैध पासपोर्ट के बिना यात्रा कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जान बूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करता है या पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविच्थिंग को बदलने का प्रयास करता है, अपना पासपोर्ट निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जान बूझकर किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का उपयोग करता है या जान बूझकर किसी व्यक्ति को जारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो 2 वर्षों की अवधि की कैद अथवा 5000/- रू. का जुर्माना अथवा दोनों के द्वारा दंखनीय होगा ।

(ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं होते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है या अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित सूधना को छिपाते हुए पासपोर्ट प्राप्त करता है या किसी जाली भारतीय पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज को धारण करता है, तो 5 वर्ष की कैंद्र और 50,000/- रू. तक के जुर्माने के लिए दंडनीय होगा।

[का. सं. VI/401/1/5/2006]

आर. आर. दास, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

टिप्पणी: - प्रधान नियम, दिनांक 11 दिसंबर के सा.का.नि. 691 (स्था.) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए :

- (i) जीएसआर 50(ई), दिनांक 7.2.1981;
- (ii) जीएसआर 494(ई), दिनांक 10.6.1981;
- (iii) जीएसआर 469(ई), दिनांक 24.6.1982;
- (iv) जीएसआर 325(ई), दिनांक 12.4.1983;
- (v) जीएसंआर 482(ई), दिनांक 13.6.1983;
- (vi) जीएसआर 494(ई), दिनांक 16.6.1983;
- (vii) जीएसआर 345(ई), दिनांक 29.3.1985;
- (viii) जीएसआर 860(ई), दिनांक 8.11.1985;
- (ix) जीएसआर 857(ई), दिनांक 13.10.1987;

(x)	जीएसआर 84(ई), दिनांक 11.2.1988;
(xi)	जीएसआर 1155(ई), दिनांक 21.11.1988;
(xii)	जीएसआर 622(ई), दिनांक 27.6.1990;
(xiii)	जीएसआर 653(ई), दिनांक 20.7.1990;
(xiv)	जीएसआर 100(ई), दिनांक 4.3.1991;
(xv)	जीएसआर 275(ई), दिनांक 20.3.1991;
(xvi)	जीएसआर 586(ई), दिनांक 21.6.1991;
(xvii)	जीएसआर 111 (ई), दिनांक 22.1.1992;
(xviii)	जीएसआर 684(ई), दिनांक 15.6.1992;
(xix)	जीएसआर 721(ई), दिनांक 7.8.1992;
(xx)	जीएसआर 477(ई), दिनांक 16.6.1993;
(xxi)	जीएसआर 485(ई), दिनांक 1.7.1993;
(xxii)	जीएसआर 503(ई), दिनांक 10.7.1993;
(xxiii)	जीएसआर 833(ई), दिनांक 2.12.1994;
(xxiv)	जीएसआर 592(ई), दिनांक 7.8.1995;
(xxv)	जीएसआर 491 (ई), दिनांक 28.8.1997;
(xxvi)	जीएसआर 605(ई), दिनांक 5.10.1998;
(xxvii)	जीएसआर 516(ई), दिनांक 8.7.1999;
(xxviii)	जीएसआर 827(ई), दिनांक 29.12.1999;
(xxix)	जीएसआर 34(ई), दिनांक 12.01.2000;
(xxx)	जीएसआर 472(ई), दिनांक 22.05.2000;
(xxxi)	जीएसआर 473(ई), दिनांक 22.05.2000;
(xxxii)	जीएसआर 485(ई), दिनांक 23.05.2000;
(xxxiii)	जीएसआर 529(ई), दिनांक 8.06.2000;
(xxxiv)	जीएसआर 584(ई), दिनांक 04.07.2000;
(xxxv)	जीएसआर 632(ई), दिनांक 25.07.2000;
(xxxvi)	जीएसआर 482(ई), दिनांक 28.6.2001;
(xxxvii)	जीएसआर 527(ई), दिनांक 13.07.2001;
(xxxviii)	जीएसआर 576(ई), दिनांक 2.8.2001;
(xxxix)	जीएसआर 817(ई), दिनांक 2.11.2001;
(Ix)	जीएसआर 879(ई), दिनांक 5.12.2001;
(xli)	जीएसआर 235(ई), दिनांक 28.3.2002;
(xlii)	जीएसआर 429(ई), दिनांक 23.05.2003;
(xliii)	जीएसआर 399(ई), दिनांक 16.06.2005;

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2006

- G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24, read with Section 5 of the Passports Act, 1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following Rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely:
 - 1. (I) These Rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In Schedule III to the Passports Rules, 1980, -
 - (a) PART-I FORM EA(P)-I FOR INDIA stands amended and with respect to the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-



Government of India

Ministry of External Affairs

Passport Application Form (No.1)

(For New / Re-issue/ Replacement of Lost/Damaged Passport)

(Please tick the required category)

Paste your unsigned recent colour photograph. Size: 3.5 X 3.5 cm

Price Rs. 10/-

Signature	
OR> Thump Impression	acommunities of the contract o
a and a second a seco	The sample of the ballion of the same and th

Please reac the Passport Information Booklet carefully before filling the form, in CAPITAL LETTERS in blue/ black ball point pen only:

(CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information would attract penal provisions as prescribed under the Passports Act, 1967). Please produce your original documents at the time of submission of the form.

uccuments at the	culic of and mission	i di fuc inlim	ø	
			cial use only	
	P>	Police Verifica	tion required (Yes/No)	ECR/ECNR
				Signature of Checking Official
Fee Amount Rs.	Cash /D.D	Bank Code	D.D No.	Date of Issue of D.D

[भाग I	I—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	41
-	etails of latest held/existing Ordinary /		=
(i) (ii) (iii) (iv)	Passport Office File No:	/ Passport(s) No	
			**
11. (a	 If you have returned to India on Eme please furnish details: 	rgency Certificate (EC) or were ever deported or repatriated,	
	EC No., date and place of issue & att	ach seizure memo in original	
		d / repatriated and reason thereof:	
	ther Details:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		/	
			••
13. A		/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies (Y)es/ (N)o per Annexure "B" of Passport Information booklet).	
		escent/(R)egistration/(N)aturalisation;zenship, please indicate previous citizenship	
(I		s? Yes/No	сору
16. li	n case of minors (applicant below the assport or has applied for it give the fol	e age of 18), if EITHER of the parents hold a Valid Including details. Please see and fill up attached Annexure-H.	dian
	Passport/ File No. Date &	& Place of Issue/ Application	
Moth	er		
Fathe			
17. (a	application been convicted by a cour for two years or more? If so, give (Attach copy of judgement)	period of Five years immediately preceding the date of rt in India for any criminal offence & sentenced to imprison name of the court, case number and relevant sections of L	nent Law.
(t	case number and relevant sections of		
,	100	LANCOL AND OF STATE O	
(0	Passport.	sh No Objection Certificate from competent court for grant o	
			, ,
(0	d) Have you been ever refused/denied p	passport? If yes, give details:	

42	THE GAZETTE OF INDIA; EXTRAORDINARY	[PART II—Sec. 3(i)]
	assport ever been impounded / revoked? If yes, give details:	
(f) Have you e	ver applied/granted political asylum by any foreign country? If yes,	give details.
Name	person to be intimated in the event of death or accident:	
Address		
Mobile / To	el. No. / email ID	
19. Self Declaration	on:	
of citizenship of Ir responsible for its	I owe allegiance to the sovereignty, unity & integrity of India, and ip or travel documents of any other country. I have not lost, surrendendia. The information given by me in this form and enclosures is true accuracy. I am aware that it is an offence under the Passports Act, 1 or to suppress any material information with a view to obtaining a page.	ered or been deprived e and I am solely 967 to furnish any
	I further declare that I have no other passport/ travel document.	
Date	(Signature/Thumb Impressi (Left Hand Thumb Impressi Hand Thumb Impression in	on if male and Right
Place		g a s
20. Enclosures:		
1 Proof of	date of birth	
3 Educatio	nal Qualifications 4	
5	6	
	(For Official Use Only)	Винистине Фенерация (пределения в положения в положения в положения в положения в положения в положения в положе
Checked by Nam	e Signature/date	
Granted by Nam	e Signature/date	
Scanned by Nam	e Signature/date	
Dispatched by N	ame Signature/date	

PERSONAL PARTICULARS FORM (In Duplicate)

Paste your cross signed recent colour photograph. Size: 3.5 X 3.5

1	Full name (Initials not allowed)				cm.
					(4)
	Com Mala / Ramala / Others			**************************	
	Sex: Male / Female / Others				
3.	(a) Has the applicant ever changed na				
	(b) If yes, previous name:	*.*********			
4.	Date of Birth:	5.	Place of B	lirth	*******
6.	Profession				
7.	a) Father				
	b) Mother		Name)		
	c) Husband / wife	(Name)		
	(Surname)	(Name)	***************************************	
8	a) Permanent Address & Tel. No. along with Police Station	8(Residential Address & Tel. Station and residing since	No, along with

					Page 1
9.	If you have not been resident at the a	3.4			
	please furnish other address(es) with for each address with Police station. From	duration(s)			set of P P Forms
		Section of the sectio		economica destructura que promato de carrio de	
		Ngamas para ngam	5.		
		industrial designation of the state of the s			
1(References: Names and Addresses of for the applicant. 	f two respon	sible perso	ns in the applicant's locality	who can vouch
	(1) Name, Address & Tel. No.		(2)	Name, Address & Tel. No.	
		1 1/5/201 (1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	. Citizenship of India by: Birth	L Desce	nt L Re	gistration Naturalizat	ion L.J.
12	Purnish details of previous passport / (i) Passport/Travel document No:				
AND DESCRIPTION AND DESCRIPTIONS	For Police Use Only			ture or Thumb Impression nd T.I. if male and Right Ha	
- Applicate management	Recommended Passport: YES/NO	**	fr. 419 110	11 111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
The second difference of the second		(5)			
		(3)			

PASSPORT INFORMATION BOOKLET

(APPLICANT MAY KEEP THIS BOOKLET FOR FUTURE HANDY REFERENCE)

CAUTION

A passport is issued under the Passports Act. 1967. It is an offence knowingly to furnish false information OR suppress information, which attracts penal and other action under relevant sections of the said Act. Passport is a valuable document. All holders are required to take due care that it does not get damaged, mutilated or lost. Passports should not be sent out to any country by post.

Loss of passport should be immediately reported to the nearest Police Station and to the nearest Passport Office/Indian Mission. Passport holder shall be responsible for misuse of passport, due to non-intimation of loss to the concerned Passport Office/Indian Mission. Passport is a Government property and should be surrendered when demanded in writing by any Passport Issuing Authority.

L ISSUE OF FRESH PASSPORT BOOKLET SECTION 1 - GENERAL INFORMATION

1. HOW TO APPLY

An application for a passport may be submitted personally OR through a representative carrying an authority letter (specimen given below). All original documents should be shown and self attested copies attached.

The Passport Officer

Passport Office...

I hereby authorize Sh./Smt./Kum......son/wife/daughter of ... resident of ... whose signature is attested below to submit application on my behalf and to collect my old passport and other original documents on my behalf.

Yours faithfully,

(Signature with name of the applicant)

Signature of authorized representative

Attested

3

Signature of the applicant

NB: It is essential for the representative to have some identity document bearing his/her photograph. Copy of identity document to be attached with authority letter.

2. FEE AND MODE OF PAYMENT: The following all-inclusive fee is to be paid along with the application form, either by Bank Draft in favour of the Passport Officer concerned or in cash. In case of DD, full name of applicant and application number to be written on the reverse of the draft. Details of payment of fee may be mentioned in the relevant boxes. If the fee is paid by Demand Draft, then the Bank Code of Issuing Bank, the Demand Draft Number and date of issue of the Demand Draft should be mentioned.

	Fresh Passport (36 pages) of 10 years validity	Rs 1,000/-
	(including minors between 15 to 18 years of age, who wish to get a 10 years full validity passport)	
2.	Fresh Passport (60 pages) of 10 years validity	Rs. 1,500/-
3.	Fresh Passport for Minors (below 18 years of Age) of 5 years validity or till the minor attains the age of 18 which ever is earlier.	Rs 600/-
4.	Duplicate Passport (36 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport	Rs. 2500/-
5.	Duplicate Passport (60 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport	Rs. 3000/-

In case of re-issue, the fee leviable will be the same, depending on the age of the applicant.

DELIVERY OF PASSPORTS:

Passport may be delivered only to the applicant or dispatched by speed post to the address given in the application form.

SECTION II - INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

The Passport Application Form is Machine Readable. It will be scanned on computer. Therefore, the following instructions may be followed strictly:

21111	ues y .		
	Use capital letters only. Particulars given in the form will be		Write clearly within the box without touching the
	printed in the passport. Therefore, please be careful in filling		boundaries.
	up the form and avoid any mistakes.		
	Use black/blue ball pen only.		Adjust the information to fit within the number of given
			boxes.
8	Do not fill the form with pencils or ink-pen.	0	Do not write anything outside the box. Avoid over-
8	While filling up the boxes, kindly leave one box blank after		writing.
	each completed word	0	Incomplete application will not be accepted.

Important Note: All original documents are to be shown at the time of submission of the passport application form. With the Original Passport Application Form, self-attested copies of all required documents need to be attached. Illiterate applicants should put only thumb impression in the box meant for thumb impression/signature. In case an applicant has stayed at more than one address during the last one year, he/she should furnish two additional photocopies of the PP form for each additional place of stay.

SECTION III - COLUMN-WISE GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

At the beginning of the Application Form there are boxes for affixing photograph, appending signature and thumb impression and giving details of payment of the fee.

PHOTGRAPHS: Recent passport size photographs (Three) in colour showing frontal view of full face are required. One photograph is to be pasted on form and two on the PP forms, which is to be filled in duplicate. Black and white photograph, photograph with coloured or dark glasses or in uniform, Polaroid prints or computer prints will not be accepted. In the box meant for affixing the photograph, please paste your recent and identical colour photograph of size 3.5 cm. Photograph should fit exactly in the box and in any case not smaller than the box provided in the form. For Jumbo booklets, two additional photographs are required.

Signature/thumb impression should be strictly within the box without touching the boundaries. Thumb impression should be of left hand in case of males and right hand in case of females.

COLUMN 1 - NAME (WITH DOCUMENTARY PROOF)

The name up to 75 character long name can be given and filled in the form. The full name as it should appear in the Passport should be furnished here. For example,

Name: KARUR VAIKUNTA SUBRAMANIYAN RAMANATHAN PILLAI -

Write the Surname as "PILLAI" in the boxes provided for Surname and put a comma and write "VAIKUNTA SUBRAMANIYAN RAMANATHAN" as the Given name in the rest of the columns. In case you do not have a sumame, just write the given name. No initials should be written and they should be expanded.

COLUMN 2 – If you have ever changed your name, please indicate the previous name in full. This will be applicable to a person who has even marginally changed the name or a lady who has changed her name / surname subsequent to the marriage. If there is no change in name at all, kindly write: Not applicable.

COLUMN 3 -In case of Male/Female option, please write M or F as applicable in the box space provided. For others, please write 'X' in this box

COLUMN 4 - DATE OF BIRTH: The date of birth is filled as dd/mm/yyyy and in words as shown in the birth certificate issued by Municipal/Government Authorities. Proof of date of birth is to be attached. Please see Section IV concerning documents to be attached.

COLUMN 5 - PLACE & COUNTRY OF BIRTH: In case born in India, please mention name of place like Village / Town, District, State and if born outside India, mention name of place and country. If born before partition of India, at a place, which now falls within Pakistan or Bangladesh, please fill up the name of place followed by Country as "Undivided India".

COLUMNS 6, 7 AND 8: The name of Father, Mother and Spouse is to be entered in the respective columns. Surnames, if any, in these columns should be mentioned after the given names. In case the applicant is unmarried, column 8 asking for information on name of spouse may be filled as NOT APPLICABLE.

COLUMNS 9 AND 10: Please give relevant details along with date since residing at the given address, telephone No. with area code is required for the purpose of contacting in case additional information or document is required by Passport Office. Mobile phone No. would be useful for sending SMS message to the applicant for the same purpose. If the period of residence given in Column 9 is less than one year on the date of application, please furnish the other addresses with duration of residence. Students staying away from their parents have the option of applying from place of study. In such cases, for proof of address a bonafide certificate from the Principal/Director/Registrar/Dean of the educational institution is must.

COLUMN 11: Please give details of previous passport(s) held. Either the Previous Passport Number or the file number may be mentioned here along with date of issue and place of issue in the relevant boxes. In case previously applied for passport but the same was not received/issued, then the details such as file number, date applied and place where applied should be furnished here. Suppression of facts may attract penal provisions as per the section I2 of the Passports Act, 1967.

COLUMN 11(a): If ever travelled on Emergency Certificate (EC) or ever deported or repatriated to India at Government cost, then the details of EC number, date and place of issue along with original seizure memorandum, place and country from where deported or repatriated should be furnished in this column. Even if the EC details are not available readily, at least the place and country from where deported or repatriated should invariably be given here. All such applicants should furnish details of circumstances of their repatriation/loss of passport in a form of notarized affidavit.

COLUMN 12: Details like educational qualifications, visible distinguishing mark and the height in centimeters are to be provided against the respective item.

COLUMN 13: The relevant entry as 'Yes' or 'No' should be marked in the box space provided. If working in Central / State Government, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, a "Identity Certificate" from the concerned office should be attached as per 'Annexure B'. COLUMN 14: Regarding citizenship, whether it is by birth, descent, registration or naturalization is to be recorded in the box space provided by either B/D/R/N as the case may be. If held any other citizenship before Indian citizenship, then please furnish the previous citizenship in the blank space provided.

COLUMN 15: Please write Y or N as applicable. It may be mentioned here that Indian citizens categorized as ECR before leaving the country are required to get a clearance from the Protector General of Emigrants. Applicants in ECR category will have the ECR Stamp put on their passports. In case the passport booklet does not have ECR stamp, the applicant would be deemed to have been granted ECNR status. No ECNR stamp will be affixed on the passport. An applicant would be eligible for ECNR status if he/she falls in any one of the following categories and provides documentary proof thereof:

PERSONS ON WHOSE PASSPORTS ECR STAMPS WOULD NOT BE AFFIXED:

- (I) (a) All holders of Diplematic/official Passports.
 - (b) All GAZETTED Government servants.
 - (c) All Income-Tax payers (including Agricultural Income-Tax Payees) in their individual capacity. Proof of assessment of income tax and actual payment of income tax for last one year or copy of PAN card to be insisted upon, and not merely payment of advance tax. However, in most cases as an assessment order is not issued separately by the income tax department, income tax returns which are stamped by income tax authorities can be accepted.
 - (d) All professional Degree holders, such as Doctors holding MBBS degree or equivalent degree in AYURVED or HOMEOPATHY, accredited Journalists, Engineers, Chartered Accountants, Cost Accountants, Lecturers, Teachers, Scientists, Advocates, etc.
 - (e) Spouses and dependent children of category of persons listed from (b) to (d).
 - (f) All persons having educational qualifications of matriculation and above.

(g) Seamen who are in possession of CDC or Sea Cadets, Dock Cadets;
(i) who have passed final examination of three years B.Sc. Nautical Sciences Courses at T.S. CHANAKYA,

MUMBAI; and

(ii) who have undergone three months Pre-Sea training at any of the Government approved Training Institutes such as T.S.CHANAKYA, T.S. REHMAN, T.S. JAWAHAR, MTI (SCI) and NIPM, CHENNAI, after production of identity cards issued by the Shipping Master, MUMBAI/KOLKATA/CHENNAI.

h) Persons holding Permanent Immigration Visa, such as the visas of UK, USA and Australia.

(i) Persons possessing two years diploma from any institute recognized by the National Council for Vocational Training (NCVT) or State Council of Vocational Training (SCVT) or persons holding three years' diploma/equivalent degree from institutions like Polytechnics recognized by Central/State Governments.

(j) Nurses possessing qualifications recognized under the Indian Nursing Council Act. 1947.

(k) All persons above the age of 50 years.

- (i) All persons who have been staying abroad for more than three years (the period of three years could be either in one stretch or broken) and their spouses.
- (m) All ... idren upto the age of 18 years of age. (At the time of re-issue at the age of 18 years, ECR stamping shall be done, if applicable)...

(II) No emigration clearance is required for visiting Bangladesh, Pakistan and all countries in Europe (excluding CIS states), North America, Australia, Japan, New Zealand, South Korea, South Africa and Singapore.

The eligible category should be mentioned in the blank space provided under this column and supportive documents should be attached with the application. It may be mentioned that passport holders with "ECR" endorsement travelling to countries other than mentioned above for any non-employment purposes are required to have the "ECR" endorsement suspended each time from the offices of the Protector of Emigrants (POE) or designated Passport Offices, before they undertake the travel. For employment purposes, such passport holders require emigration clearance from the offices of POEs. Otherwise, they will be stopped from travelling at the port of exit. Applicants are, therefore, advised to apply for ECNR, if they are eligible, to ensure hassie-free travel abroad. It may be noted that the passport booklet will only have ECR category stamped and in case the passport booklet does not have ECR stamp, the applicant would be deemed to have been granted ECNR status.

COLUMN 16: In this column, while applying for the first time for the minor children who are less than 18 years of age, the details of valid passports held by BOTH OR EITHER parents should be furnished in the relevant column. In such cases, passport to their minor child will be issued without any police verification. Further, in the cases where the parents do not hold valid passports, applications for such minors can be made on the basis of three documents of parents details of which are given in para C(B) of Section IV of the Passport Information Booklet along with Standard affidavit Annexure I. In all such cases, passport to their minor child will be issued on post-police verification basis. A declaration on plain paper as given at annexure H is needed to be filled up in each case. In case the minor child who is between 15 and 18 years of age wishes to obtain a full validity passport for 10 years, the same can be issued only on submission of Standard Affidavit as in Annexure "l" and any three of the 14 document as mentioned in para C (B) of Section IV of Passport Information Booklet by the parents and on payment of fee equivalent to the normal export fee i.e. Rs. 1000/- for a 36 pages passport, as applicable for an adult. Otherwise the validity of the passport is restricted to five years or attaining the age of 18, whichever is earlier. In case of single parent and children born out of wedlock or in case of parents who are judiciali, separated, a sworn affidavit before a Magistrate, stating the facts of the case along with documentary proof to be submitted as per Annexure "C". In the NORMAL COURSE the signature/consent of both parents is required for issue of a passport to the minor (Annexure "H"). However, if in case the applicant parent is not in a position to get the consent of the other parent, FOR WHATEVER REASON, the parent applying for the passport of the minor may sign the form and submit a sworn affidavit as per Amexure "G" stating the facts and circumstances of the case along with the application. The affidavit should also state that in case of a court case he/she would be responsible and not the passport office. In such cases, where only one parent is applying, i'e physical appearance of the child may be requested to ensure the applicant parent has the actual custody of the child.

COLUMN 17: The applicant should give correct information. Suppression of any fact may lead to fine up to Rs 5000 per offence and other penal provisions as applicable under the provisions of the Passports Act, 1967 as amended from time to time.

COLUMN 18: In this column, the name and address along with Mobile or Telephone number/e-mail of person to be intimated in the event of death or accident is to be firmished.

COLUMN 19: This column is a self declaration made by the applicant about owing allegiance to the sovereignty, unity and integrity of India, not voluntarily acquiring the citizenship or travel document from any other country etc. Also this column contains declaration in furnishing true information in the application form and aware that it is an offence under the Passport Act 1967 for any wrong information or suppression of any material information in getting the passport. The applicant also declares that he has no other passport or travel document. Under the space provided, the signature or Thumb Impression (left hand thumb impression for male and right hand thumb impression for female) should be furnished along with date and place of application.

COLUMN 20: Photocopies of all documents that are attached as caclosures along with the application form should be listed in the blank spaces provided and each document self-attested by the applicant.

SECTION IV - DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION

(In case the applicant is submitting the application himself/herself, seif attested copies of all documents are required to be attached with the application form. Original documents should, however, also be produced for verification and are returned. In case the application is not being submitted by the applicant himself, he can authorize any member of his family to do so with on authority letter. In case of applications sent by post, the copies of original documents are to be attested by a GAZETTED Officer or Notary public.

(A) PASSPORTS

- (1) While applying for a fresh passport attach two copies of the following documents:
 - (a) Proof of address (attach one of the following): Applicant's ration card, certificate from Employer of reputed companies on letter head, water /telephone /electricity bill/statement of running bank account/income Tax Assessment Order /Election Commission ID card, Spouse's passport copy, parent's passport copy in case of minors (NOTE: If any applicant submits only ration card as proof of address, it should be accompanied by one more proof of address out of the above categories).

(b) Proof of Date of Birth (attach one of the following):

Birth certificate issued by a Municipal Authority or district office of the Registrar of Births & Deaths;

Date of birth certificate from the school last attended by the applicant or any other recognized educational institution; or an Affidavit sworn before a Magistrate/Notary stating date/place of birth as per the specimen in ANNEXURE 'A' by illiterate or semi-illiterate applicants.

N.B.: In the case of applicants born on or after 26.01.89, only Birth Certificate issued by the Municipal Authority or the Office of the Registrar of Births & Deaths is acceptable.

(c) Citizenship document if applicant is a citizen of India by Registration or Naturalization.

- (d) Government/Public Sector/Statutory body employees should submit "Identity Certificate" in original (ANNEXURE B) alongwith Standard Affidavit Amexure I.
- (e) If the applicant is eligible for "ECNR" attach attested copy of supporting document (see COLUMN 15 of the INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM).
- (f) If the applicant was repatriated at Government cost, enclose documents to show that the expenditure, if any, incurred by the Government of India on his/her repatriation has been fully refunded to the Government of India, Ministry of External Affairs.
- (g) If the applicant was ever deported to India, give details of Emergency Certificate/Passport.

(2) When applying for reissue of a passport after 10 years, attach:

(a) Old passport in original with self-attested photocopy of its first four and last four pages, including ECR/ECNR page.

(b) Document mentioned at (1) (d), if applicable.

(c) Document mentioned at (1) (e), if the old passport did not have ECNR stamp or it was issued when the applicant was a minor.

(d) If there is any change in address, document mentioned at 1 (a).

(e) If the old passport does not contain spouse name, copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or affidavitas per specimen in Annexure 'D'.

(3) When applying for a minor's passport attach:

(a) A Declaration from the parents /single parent/applicant parent/legal guardians, as the case may be, affirming the particulars furrished in the application about the minor child as per 'Annexure-H (for all minor applicants), Annexure "C" (Single parents who are separated but not formally divorced/Single parent of the child born out of wedlock), Annexure "G" (when passport is being applied for by single parent or legal guardian), Annexure "I" (when a minor between 15-18 years of age applies for a full validity 10 year passport OR in case either parents who do not hold valid Indian passport while applying passport for their minor child), as the case may be. Single Parents applying for the passport for their child should fill up Annexure "C" and or Annexure "G", as the case may be.

(b) Attested photocopy of passport, if any, of both parents, if applicable.

(c) Original passports of parents should be presented for verification of particulars.

(d) If one parent is resident abroad, a Sworn affidavit by the parent resident abroad attested by the Indian Mission along with affidavit from parent residing in India as well be submitted.

N.B.: Ordinarily the consent of both parents is required for issue of a passport to a minor (below 18 years of age). However if it is absolutely not possible due to any reason, the parent applying for a passport for his/her minor child may submit an affidavit (Annexure G) and based on the same passport application will be processed. In case where the parent(s) is/are resident outside India, such consent from the parent(s), in the form of a sworn affidavit, duly attested by the Indian Mission abroad, is acceptable. In the cases where the minor children who are less than 18 years of age, the details of valid passports held by BOTH OR EITHER parents should be furnished. In such cases, passport to their minor child will be issued without any police verification basis. Further, in the cases where the parents do not hold valid passports, applications for such minors can be made on the basis of three documents of parents details of which are given 'n para C(B) of Section IV of the Passport Information Booklet along with Standard Affidavit Annexure I. In all such cases, passport to their minor child will be issued on post-police verification basis. Children of all age must apply for separate passports. However, those below 15 years will be given 5 years validity passport or passport till 18 years of age. In case the minor child who is between 15 and 18 years of age wishes to obtain a full validity passport for 10 years, the same can be issued only on post-police verification basis on submission of Standard Attidavit as in Annexure "I" and three of the 14 document as mentioned in para C(B) of Section IV of Passport Information Booklet by the parents and on payment of fee equivalent to the normal passport fee i.e. Rs 1000/- for a 36 pages passport, as applicable for an adult. In the case of single parents or of parents who are separated but not formally divorced, an affidavit at 'Annexure C is to be submitted.

For Adopted Children:

In case of Adopted Children the following documents are to be furnished:

i) Valid adoption deed registered as per Indian laws

- ii) In the case of Christians, Muslims and Parsis, a court order granting guardianship and allowing the child to be taken out of the Country.
- iii) Copy of the guarantee executed before the Court concerned.

B) CHANGE OF NAME

- . Following marriage, remarriage or divorce:
 - (a) A woman applying for change of name/surname in existing passport due to marriage must furnish:

(i) Photocopy of the Husband's passport, if any, and

- (ii) An attested copy of marriage certificate issued by Registrar of Marriage OR an affidavit from the husband and wife along with a joint photograph, (Specimen at Annexure D).
- (b) Divorces applying for change of name OR for deletion of spouse's name in existing passport must furnish

(i) Certified copy of Divorce decree.

(ii) Deed poll/sworn affidavit (ANNEXURE 'E')

(c) Re-married applicants applying for change of name/spouse's name must furnish:

(i) Divorce deed/death certificate as the case may be in respect of first spouse, and

(ii) Document as at (a) above relating to second marriage.

I. In other circumstances for change of name, the applicant (both male and female) should furnish:

(i) Deed poll/sworn affidavit (ANNEXURE 'E'):

(ii) Paper cuttings of two leading daily newspapers (one daily newspaper should be of the area of applicant's permanent and present address or nearby area).

(C) OUT OF TURN ISSUE OF PASSPORT UNDER TATKAAL SCHEME

- (A) If an applicant desires to obtain his passport under the Tatkal Scheme, a verification certificate as per the specimen at ANNEXURE 'F' and standard affidavit as Annexure "T" should be submitted along with the TATKAAL fee. The Passport Issuing Authority shall retain the right to verify in writing the authenticity of the Verification Certificate from the official who has issued it. All applicants seeking a passport out of turn under the TATKAAL Scheme are advised to submit their application, documentation and fee as specified under. No proof of argency is required for Out-of-Turn issue of passport. Post Police Verification shall be done in all cases of issue of passport under Tatkal Scheme.
- (B) The applicant also has the option to obtain a passport under Tatkal Scheme on submission of three documents from the Fourteen documents as mentioned below, provided one of the three documents is a photo identity document and atleast one of the three is amongst the documents indicated at (a) to (i) and standard affidavit duly attested by a Notary as at Annexure "1". All applicants seeking a passport out of turn under the TATKAAL Scheme are advised to submit their application, documentation and fee as specified below.

Proof of Identity and Nationality (please attach three documents from the following Fourteen documents, provided one of three documents is a photo identity document and at least one of the three is amongst the documents indicated at (a) to (i) below and along with standard affidavit as given in Annexure "I" on non-judicial stamp paper to be attested by public notary):

(a) Electors Photo Identity Card (EPIC); (b) Service Identity Card issued by State/Central Government, Public Sector Undertakings, local bodies or Public Limited Companies; (c) SC/ST/OBC Certificates; (d) Freedom Fighter Identity Cards; (e) Arms Licenses; (f) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds etc.; (g) Rations Cards; (h) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order; (i) Railway Identity Cards; (j) Income Tax Identity (PAN) Cards; (k) Bank/Kisan/Post Office Passbooks; (l) Student Identity Cards issued by Recognized Educational Institutions; (m) Driving Licenses; and (n) Birth Certificates issued under the RBD Act.

(All above documents to be produced in original along with self-attested copies)

The TATKAAL fee is in addition to the applicable passport fee and payable either in cash or DD in favor of Passport Officer concerned. The additional fee for out of turn TATKAAL passport, would be as follows:

Fresh Pa	isspert	
· .	Within I-7 days of the date of Application	Rupees. 1,500/- plus the passport fee as applicable
2.	Within 8-14 days of the date of Application	Rupees. 1,000/- plus the passport fee as applicable
Duplicat	e Passport	
1.	Within 1-7 days of the date of Application	Rupees. 2,500/- plus the duplicate passport fee as applicable
2.	Within 8-14 days of the date of Application	Rupees. 1,500/- plus the passport fee as applicable
Re-issue	cases after expiry of 10 years validity	
1.	Within 3 working days of the date of application	Rupees. 1,500/- plus the passport fee as applicable

- (D) For issue of passports to owner, partners and directors of Companies which are members of CII, FICCI & ASSOCHAM. The applicants have to submit Verification Certificate as at Annexure "J" along with Standard Affidavit at Annexure "I".
- (E) In case an applicant is in possession of a Verification Certificate (VC) and or three (3) documents as mentioned in para C(B) (a) of Section IV, but does not wish to pay the additional fees as required under Tatkal. In such a case, the applicants will be issued passport on post-police verification basis in the normal course.
- (F) CASES OF LOST/DAMAGED PASSPORTS: The applicant has to fill the passport application form and submit the same along with following deeds:
 - i) FIR in original
 - ii) First and last four pages of old passport.

In case of notary, notarial stamp would be required

iii) If there is any change in address, proof of address.

SECTION V - SPECIMEN OF AFFIDAVITS/DECLARATIONS

ANNEXURE 'A'

SPECIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED BY ILLITERATE APPLICANTS AS PROOF OF DATE OF BIRTH IN CASE NO OTHER OCCUMENT MENTIONED AT PARA A(b) OF SECTION IV IS AVAILABLE

(To be executed on non-judicial stamp paper)

K. A.	
1 S/o W/o D/o presently residing at hereby state as follows:	DWS:
I was born onatsituated in the District in the State of	. I have no documentary proof in support of my place
and date of birth.	
I do not possess any educational qualification and I am an illiterate person.	
I take outh and solemnly declare/affirm that the particulars furnished by me above are correct and that I hav	e not concealed or misrepresented any facts.
Place	
Date	
Verified on this day of of the year that the contents of my	above affidavit are true and correct to the best of my
knowledge and belief and nothing in material has been concealed therefrom.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The contents of the affidavit has been read out to me	
	Deponent
- ***	Attested
	Signature and official seal of attesting authority
No. of the Control of	Signature and official sear of allesting delivery
Note: Affidavit to be attested by the Magistrate/Notary	

ANNEXURE 'B' ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES STATE GOVERNMENT EMPLOYEES, EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS ARE REQUIRED TO PRODUCE A IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT PORTION NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

address) a dependence of the certified	that SHRI/SHRIMATI/KUM Son/Wife of Shri of is a temporary/permanent employee of this (office from (date) and is at present holding the post of Shri/Smt./Miss/Mst. is/are lent family member(s) of Shri/Smt. and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has tion to his/her acquiring Indian Passport. The undersigned is duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of (2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is that this organization is a central / State Government / Public Sector / undertaking / statutory body. The Identity Card Number of (employee).
Ref. No. Date	& Name, Designation, address & Tel No
Application of the state of the	o be d by ling
AFF	ANNEXURE 'C' IDAVIT TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION FOR A PASSPORT OF A MINOR CHILD BY EITHER PARENT (WHO ARE SEPARATED BUT NOT FORMALLY DIVORCED) OR BY A SINGLE PARENT OF THE CHILD BORN OUT OF WEDLOCK (To be executed on non-judicial stamp paper)
	of single parent) solemnly declare and affirm as follows:
l. passport	That I am the mother/father of (name of the child) who is a minor child and on whose behalf I have made an application for his/her
2.	That I am judicially separated from the mother/father of (name of minor).
	OR That no legally valid marriage ever existed between me and Mr./Ms. (the father/mother the minor child).
	, OR
3.	The father/mother of (name of the child) has deserted me after conception/ delivery That (name of the minor) is exclusively under my care and custody since separation/
٧.	delivery.
	ucitvery.
	Signature & address of Deponent
	Date:
generonomusi siddi	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public)
SPEC	Date:
FOI	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper)
We 1.	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper)
We 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband)
We 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife)
We 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under
We 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) mnly declare and affirm as under: That we are married under
We 1 2 sole	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) mnly declare and affirm as under: That we are married under
We 1 2 sole	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under
We 1 2 sole 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under (date of marriage) That (maiden name of wife) (name of wife after marriage) by virtue of our marriage. That our joint photograph is affixed below.
We 1 2 sole 1	Date: (Swom before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under
We 1 2 sole 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under (date of marriage) That (maiden name of wife) (name of wife after marriage) by virtue of our marriage. That our joint photograph is affixed below.
We 1 2 sole 1	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of wife) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under
We 1 2 sole 1	Signature & address of Deponent (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under
FOI We 1 2 sole 1 2. 3. Date:	Date: (Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public) ANNEXURE 'D' CIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT R CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND) (To be executed on non-judicial stamp paper) (maiden name of husband) muly declare and affirm as under: That we are married under

ANNEXURE 'E' SPECIMEN AFFIDAVIT FOR CHANGE IN NAME/DEED POLL/SWORN AFFIDAVIT (On non-judicial stamp paper)

use of my former name/surname of	(address) solemnly declare: ren and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandon the sof I do hereby assume from this date the name/surname
	Signed sealed and delivered by the above name Former name
Date	Pointer name
In the presence of:	
Name	None
Address	Name
Address	Address
(This deed poll/affidavit may be signed and attested in presence of a Magistra Note: In case of change of name, applicant should insert advertisements in the/she is residing and 2 nd in newspaper of the area of permanent address) this/her new name.	two reputed newspapers (one local newspaper of the area in which
SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE (FO (On official stationery of ve (To be given in Duplicate* along with Stance Reference Number (Verification Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with the property of the applicant with the property of the applicant with the photograph of the applicant with the photogr	rifying authority) lard Affidavit as at Annexure "I") Applicant's Photo
and stamp appear on the photograph and half on the certificate).	
This is to certify that Sh./Smt/Kum. Son offwife of has good moral character and reputation and that after having read the provisions of Scattracted in case of this applicant and I, recommend issue of an Indian Passport to him one year.	of/daughter of
Date of Birth	
Place of Birth	
Educational Qualification	
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	tan maanan maana ah
Permanent Address	
Present Address	
Place	
Office Address with location	
Date:	Signature
Office	
Seal	******
	Full Name
	Designationt Card No.
	(Enclose a photocopy of I Card)
	Telephone No. (O)(R)
	Mobile No
Notes:	
The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the	ne Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification

The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification Certificate with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.

If the applicant has resided at more than one place during the last one year then all previous addresses with the relevant dates should be mentioned.

Date :

F 11 1 22	च उर्दा । जिल्लामा क्रिकारण जा			
3	This Verification Certificate may be got signed by any of the following: (i) An Under Secretary/Deputy Secretary/Director/Joint Secretary/Add. Secretary/Special Secretary/Cabinet Secretary to Government of India. (ii) A Director/Joint Secretary/Additional Secretary/Special Secretary/Chief Secretary to a State Govt. (iii) A Sub-Divisional Magistrate/First class Judicial Magistrate/Additional DM/District Magistrate of the district of residence of applicant. (iv) A District Superintendent of Police, DIG/IG/DGP of district of residence of applicant. (v) A Major and above in the army. Lit Commander and above in the Navy and Sq. Leader and above in the Air Force. (vi) The General Manager of a Public Sector Undertaking (vii) All members of any All India Service or Central Service who are equivalent to or above the rank of an Under Secretary to the Government i.e. in the pay scale of Rupees 10,000-15,200 or above. (viii) Resident Commissioners/Additional Resident Commissioners of all State Governments based in Delhi. (ix) Concerned Tehsildars or Concerned SHO's for an applicant staying in the area under his/her jurisdiction. The Chairmen of the Apex Business Organizations i.e. FICCI, CII and ASSOCHAM in respect of owners, partners or directors of the companies that are members of the concerned Chamber in prescribed performa as at Annexure "J".			
4 5.	Anyone who issues incorrect verification certificate may be prosecuted under section 12(2) of the Passport Act, 1967. SECTION 6(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967 "Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely: (a) that the applicant is not a citizen of India. (b) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India. (c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India. (d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country. (e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately proceding the date of his application been convicted by a court of India for any offence involving moral turpitude and senter ced in respect thereof imprisonment for not less than two years. (f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India. (g) that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court. That the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation.			
	ANNEXURE 'G' DECLARATION OF APPLICANT PARENT OR GUARDIAN IF PASSPORT IS FOR MINOR (one parent not given consent): IN THE FORM OF A SWORN AFFIDAVIT BEFORE JUDICIAL MEGISTRATE ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER I/We			
l behalf	That I/We ant/are the mother/father/parents/guardians of			
	(Name of the Minor Child) I/We have made an application for his/her passport.			
2.	Signature/Consent of Mr/Mrs			
3.	That I/We only am/are taking care of			
custody	(Name of the minor child)			
4	I/We also affirm that in the case of a court case arising due to issue of a passport to the minor child			
	(Name of the minor child) 1/We would be solely responsible for defending the case and not the Passport Issuing Authority.			

Signature & Address of the parent (s)/ guardian(s) applying for the Passport

ANNEXURE 'H' DECLARATION OF APPLICANT PARENT OR GUARDIAN IF PASSPORT IS FOR MINOR: ON PLAIN PAPER

	Shrimati Parents/Applicant Parent/Guard I/We undertake the entire responsered or been deprived or	ians. He/She is a Citizen of Inconsibility for his/her expenses f his/her citizenship of India and certified that I/we am/are hold	of whom I/we am/are the dia. His/Her date of birth/place of Birth. I/We solemnly declare that he/shed that the information given in respecting/not holding valid Indian passport(st.	Parents/Single rth is
	/		OR	
	Father (Signature)	Mother (Signature)	Legal Guardian (Signature)
		ANNEXURE 'I'		
		AFFIDAVIT priate non-judicial stamp paper e original and one self-attested	r and attested by a Notary Public) photocopy)	I
name).	Son of		residing at	Date
of Birth			by solemnly affirm and state as for	Charles and the Control of the Contr
(i) (ii) (iii) 2. That 3. That and 4. That by any court two years; 5. That no court in Indi	other country not have surrendered have not, at any time during the tin India for any offence involving proceedings in respect of any cria;	e above mentioned address from escent/registration/naturalization d or been terminated/deprived of e period of five years immediatel ing moral turpitude and sentence minal offence alleged to have be	and that I have neither acquired the	been convicted or not less than are any criminal
time being in7. That I h	n force, and that my departure from	m India has not been prohibited to abroad back to India at the exp	by order of any such court; pense of Government of India/I was re	epatriated from
repatriation. 8. That I w 9. That my		fyities prejudicial to the sovereig detrimental to the security of Indi	ia.	tion with such
Place: Date:		VERIFICATION		DEPONENT
Verified on	(date) at (nloce) the	at the contents of the chave ment	ioned affidavit are true and correct and	nothing
	been concealed.	is the contents of the above ment	whee arreagn are and and opineer and	DEPONENT

ANNEXURE 'J'
SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE

(To be given {in Duplicate* along with Standard Affidavit as at Annexure "I} by Chairmen of Apex Business Organisations to the Owners, Partners Or Directors of the Companies having Membership of the Concerned Chambers)

		(Official stationer	ry of verify	ing authority)	
Reference	Numi	ber			
					Applicant's
					Photo
		-			
		rtificate issuing officer should attest the photograph of the appar on the photograph and half on the certificate).	plicant with	his/her signature and rubber stamp in such a way	that half the signature
		Varifica	tion Certif	ficata	
	This	is to certify that Sh./Smt./Kurn son			lars are given below has
	l cha	racter and reputation and that after having read the provision of this applicant and I, recommend issue of an Indian Passpo	ns of Section	on 6(2) of the Passports Act, 1967. I certify that	these provisions are no
c m :					
Date of Bir					
Place of B		e a la l			
Educationa				***************************************	
Permanent Present Ad					
Present Ad	oress				
Place					
	page	with location			
Date:	11 620	With rocasion		Signature	
Date.		Office		Signature	•
		Seal			
		en de	and the same of th	Full Name	
		9.		Designation	
				Name of the Chamber	
				Telephone No. (O)(R)	
				Mobile No	
Notes:					
1.	The	applicant's passport size photograph is also required to be affi	ixed on the	Verification Certificate and attested by the officer	issuing the Verification
Certificate		his/her signature and rubber stamp in such a way that half the			
2.		e applicant has resided at more than one place during the last of			
3.	Any	one who issues incorrect verification certificate may be prosec	cuted under	section 12(2) of the Passport Act, 1967.	
4.	SEC	TION 6(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967			
	"Sub	ject to the other provisions of this Act, the passport authority	shall refuse	e to issue a passport or travel document for visiting	g any foreign country
	unde	er clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the followin	ig grounds,	and on no other ground, namely:	
	(a)	that the applicant is not a citizen of India.			
	(b)	that the applicant may, or is likely to engage outside India in			la:
	(c)				
	(d)				
	(e)	that the applicant has, at any time during the period of five y			
		India for any offence involving moral turpitude and sentence			
	(f)	that criminal proceedings in respect of an offence alleged to			
	(g)	that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for			r any law for the time
	4.5	being in force or that an order prohibiting the departure from			
	(h)	That the applicant has been repatriated and has not reimburs	ed the expe	enditure incurred in connection with such repairial	ion.

PENALITY FOR OFFENCES UNDER PASSPORT ACT, 1967

	penalties for suppression of information under Section 12(1) (B) of I		
S. No.	Nature of suppression of information	Amount (in Rs.) for Literate applicants	Amount (in Rs.) for Illiterate applicants
(i)	In case the applicant's name has been endorsed on the parents'	Literate applicants	Ittlerate applicants
(3)	passport and the applicant is less than 18 years old and while	,	
	applying for a separate passport, does not mention the fact that	500/-	Nil
	the name is endorsed in the parents' passport.	300/-	1411
(ii)	In case the applicant's name has been endorsed on the parents'		
(**)	passport and the applicant is more than 18 years old and while	To a second	
	applying for a separate passport, does not mention the fact that	1000/-	500/-
	his name is endorsed in the parents' passport.		2.70
(iii)	In both the above cases, if the parents' passport has already	No fine	No fine
	expired		
(iv)	If the applicant had previously applied for a passport and the		
	file was closed without issue of a passport or returned	To the second	
	undelivered and provided there is no change in the personal	1000/-	500/-
	particulars and the applicant does not mention about the		
-	application made earlier.		
(v)	If the previous passport has expired and the information is not		
	given.	2000/-	500/-
(vi)	When an applicant holds / held a diplomatic / official passport		
	and does not mention in his application at the time of applying	500/-	500/-
4 113	for an ordinary passport.		
(vii)	If a student studying in a hostel away from his permanent	s de la company	6001 (
	address, does not mention his present address with proof in his	800/	500/- (in case of minor
	passport application form while applying at RPO/PO in which	500/-	where applicant's parent is illiterate)
(viii)	jurisdiction his permanent address falls.		parent is initerate)
(VIII)	In case where an applicant does not disclose that he had		
	applied for a passport earlier claiming that he never received the passport and there is, however, no record of passport	2500/- + 2500/-	1000/- + 2500
	"Returned Undefivered", then the applicant may be asked to	(Duplicate passport fee)	(Duplicate passport fee
	apply for duplicate passport with FIR.	(Dupireate passport iee)	(Duplicate passport ice
(ix)	(a) In case, there is forgery of the stamp of ECNR/PCC or any	-	
(IV)	other observation in the passport, then applicant may be		
	interviewed and in case some agent has done this then his	5000/-	1000/-
	name and address should be taken in writing. The forged	30007	1000
	endorsement should be cancelled and passport restored to the		
	applicant.		
	(b) If another booklet is required by the applicant, duplicate	5000/- + 2500/-	1000/- + 2500/-
	passport fee or Rs. 2500/- should be charged.	(Duplicate passport fee)	(Duplicate passport fee
(x)	In case the passport with forgery has expired, then fresh		
	passport may be issued with normal fee of Rs. 1000/- plus.	2500/- + 1000/- (normal	1000/- + 1000 (normal
		passport fee)	passport fee)
(xi)	A Government servant who does not give details of his	1	
	employment in his application form for ordinary passport.	2500/-	2500/-
(xii)	In case applicant does not disclose correct marital status and a	2500/-	2500/-
	case is registered regarding marital dispute	1.000	4001
(xiii)	If applicant gives wrong information regarding his date of	1000/-	500/-
7.1.	birth / place of birth (minor changes)	500/	500/
(xiv)	Minor suppressions of information regarding marital status /	500/-	500/-
()	name of spouse etc. inadvertently.		
(xv)	When an applicant holds a valid passport or suppresses /		
	changes the personal particulars or where a criminal case is		2500/-
	pending against him and this information is not disclosed in the application.	30001-	25001-
	the approach on.		

Note: (i) Under Section 12 of the Passport Act, 1967 - whoever contravenes the provisions of the Act by traveling without a valid passport, knowingly furnishes wrong information or attempts to alter entries made on the passports or travel documents, fails to produce his/her passport for inspection, knowing uses a passport or travel document used to another person or knowingly allows another person to use a passport or travel document issued to him shall be punishable with imprisonment for a term up to 2 years or with fine up to Rs. 5,000/- or with both

(ii) Whoever not being a citizen of India makes an application for a passport or obtains a passport by suppression of information about his nationality or holds a forged Indian passport or travel document shall be punishable by imprisonment up to 5 years and with fine up to Rs. 50,000/-.

[F. No. VI/401/1/5/2006] R. R. DASH, Jt. Secy. (CPV)

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide:-

```
(i)
        GSR 50(E), dated 7.2.1981;
(ii)
        GSR 494(E) dated 10.6.1981
(iii)
        GSR 469(E), dated 24.6.1982;
        GSR 325(E), dated 12.4.1983;
(iv)
        GSR 482(E), dated 13.6.1983;
(v)
        GSR 494(E), dated 16.6.1983;
(vi)
(vii)
        GSR 345(E), dated 29.3.1985;
(viii)
        GSR 860(E), dated 8.11.1985;
        GSR 857(E), dated 13.10.1987;
(ix)
(x)
          GSR 84 (E), dated 11.2.1988;
          GSR 1155(E), dated 21.11.1988;
(xi)
(xii)
          GSR 622(E), dated 27.6.1990;
(xiii)
          GSR 653(E) dated 20.7.1990
(xiv)
          GSR 100(E), dated 4.3.1991;
(xv)
          GSR 275(E), dated 20.3.1991;
(xvi)
          GSR 586(E), dated 21.6.1991;
          GSR 111(E), dated 22.1.1992;
(xvii)
(xviii)
          GSR 684(E), dated 15.6.1992;
(xix)
          GSR 72I(E), dated 7.8.1992;
          GSR 477(E), dated 16.6.1993;
(xx)
          GSR 485(E), dated 1.7.1993;
(xxi)
          GSR 503(E), dated 10.7.1993;
(xxii)
(xxiii)
          GSR 833(E), dated 2.12.1994;
(xxiv)
          GSR 592(E) dated 7.8.1995:
(XXV)
          GSR 491(E) dated 28.8.1997:
          GSR 605(E), dated 5.10.1998;
(xxvi)
(xxvii) GSR 516(E), dated 8.7.1999;
(xxviii) GSR 827(E), dated 29.12.1999;
(xxix)
         GSR 34(E), dated 12.01.2000;
(xxx)
         GSR 472(E), dated 22.05.2000;
         GSR 473(E), dated 22.05.2000;
(xxxi)
(xxxii)
         GSR 485(E), dated 23.05.2000;
          GSR 529(E), dated 8.6.2000;
(xxxiii)
(xxxiv)
          GSR 584(E), dated 04.07:2000;
          GSR 632(E), dated 25.7.2000;
(XXXV)
          GSR 482(E), dated 28.6.2001;
(xxxvi)
(xxxvii) GSR 527(E), dated 13.7.2001:
(xxxviii)GSR 576(E) dated 2.8.2001
(xxxix) GSR 817(E) dated 2.11.2001
         GSR 879(E) dated 5.12.2001
(xl)
(xli)
        GSR235(E) dated 28.3.2002
(xlii)
        GSR 429 (E) dated 23.05.2003
(xliii)
        GSR 399(E) dated 16.06.2005
```